राजस्थान विधान सभा

चतुर्थ बैठक, दिनांक ९ अक्टूबर, १९५२

—::○::0::○::—

सदन का कार्य ८ बज कर ३७ मिनट पर प्रारम्भ हुआ ।

(श्री अध्यक्ष पदासीन)

——::8::——

तारांकित प्रश्न

श्री अध्यक्ष:–प्रश्न

श्री हरिकृष्ण व्यास (जोधपुर):–कल के मेरे प्रश्न का उत्तर आज मिलने वाला था वह अभी मिलेगा या बाद में?

श्री रामकिशोर व्यास (न्याय–मंत्री):–उसका उत्तर सोमवार को दिया जायगा।

श्री खेतसिंह:–हमने ७ तारीख को अनस्टार्ड क्वेश्चन्स (अतारांकित प्रश्न) रखे थे उनके जवाब हाउस की टेबल पर न तो ७ तारीख को रखे गये और न आठ तारीख को ही। उन प्रश्नों के उत्तर ७ तारीख को मिलने चाहिये थे, अब तक नहीं मिले।

श्री हरिकृष्ण व्यास:–मैं भी यह अर्ज करना चाहता हूं कि जो स्टार्ड क्वेश्चन्स (तारांकित प्रश्न) समय की कमी के कारण बाकी रह गये थे उनका उत्तर अब तक हमें नहीं मिला है। ७ तारीख को जो प्रश्न बाकी रह गये थे उनके उत्तर भी नहीं मिले ।

श्री इन्द्रनाथ मोदी:–अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि जो भी सामग्री हाउस की मेज पर रखी जाय उसके लिये कोई आयोजन आवश्यक है क्योंकि यह तो सदस्यों से हमेशा आशा नहीं की जा सकती कि वे हर रोज हाउस की टेबल पर देखें कि कौनसी सामग्री वहां पड़ी हुई है। इसलिये यदि

आपकी स्वीकृति हो तो जो सामग्री हाउस की टेबल पर रखें उसकी सूचना सर्क्युलर के जरिये दे दी जावे जिससे मालूम हो सके कि कौनसे कागज टेबल पर रखे हुए हैं।

प्रश्न संख्या ३८.

श्री अवनिकुमार (वि. सं. १):—Will the Minister-in-charge of co-operatives be pleased to state:—

(i) What is the total cost incurred by the Government to run the Co-operative Training School under the Registrars, Co-operative Societies, Rajasthan ?

(ii) How many new candidates have been trained by the School ?

(iii) What is the emolument paid to the Head of the Institution ?

श्री अमृतलाल यादव:–(१) सरकार द्वारा कुल खर्चा निम्न प्रकार से किया गया:—

(i) सन् ५१–५२ में १४,३३७ रुपये ५ आना
(ii) सन् ५२–५३ (अगस्त तक) १५,०२५ रु० १ आ० ६ पा
इस प्रकार कुल जोड़ २६,३६२ रु० ६ आ० ६ पा०

(२) स्कूल द्वारा ट्रेन किये गये छात्रों की संख्या निम्न है:–

रिफ्रेशर्स कोर्स के १००
फील्ड वर्कर्स ८७
कुल जोड़ १८७

(३) इन्स्टिटयूशन के अध्यक्ष पूर्वी पंजाब सरकार से डेप्युटेशन पर बुलाये गये हैं। वहां पर वे जब कार्य करते थे और जो निजी वेतन वहां पर उनको मिलता था उसका २५ प्रतिशत अधिक दिया गया है और उसके अलावा लीव, पेन्शन आदि की सुविधा भी उसी तरह से दी गई है। कुल इमोल्युमेन्ट्स इस प्रकार हैं:–

वेतन ५००) रु०, डेप्युटेशन एलाउन्स १२५) रु०, लीव, पेन्शन आदि के एवज में वेतन का छवां हिस्सा और महंगाई भत्ता ७० रु० माहवार। यह अधिकारी १७–३–५२ से पंजाब सरकार की सेवाओं से मुक्त हो चुके हैं। अब इनकी लीव, पेन्शन आदि की सुविधाएं बन्द करदी जावेंगी और वेतन की दर नये तौर पर निर्धारित की जावेगी। यह मामला सरकार के विचाराधीन है। नियमानुसार वेतन में से पेन्शन की रकम घटाकर नई दर नियत करनी होगी।

श्री सन्तोषसिंह:–अब उनका वेतन क्या होगा

श्री अमृतलाल यादव:–मैंने अर्ज किया था कि यह विचाराधीन है।

श्री मानसिंह:–क्या राजस्थान को ऐसे व्यक्ति उपलब्ध नहीं थे जो इस काम को संभाल सकते; इसलिये बाहर के आदमी रखे गये?

श्री अमृतलाल यादव:–उस वक्त उपलब्ध नहीं थे, अब ट्रेन्ड किये जा रहे हैं।

श्री मानसिंह:–यदि अब ऐसा व्यक्ति उपलब्ध है तो सरकार उस अफसर को यहां रखने का क्यों सोच रही है?

श्री अमृतलाल यादव:–मैंने अर्ज किया कि इस पर सरकार विचार कर रही है।

श्री हरिकृष्ण व्यास:–क्या सरकार उनकी तनख्वाह क्या हो, यह विचार कर रही है या उनको रखने या नहीं रखने का विचार कर रही है?

श्री अमृतलाल यादव:–दोनों ही बातों पर विचार कर रही है।

श्री मानसिंह:–जब ऐसे व्यक्ति राजस्थान में उपलब्ध हैं तो बाहर वालों को टिकट क्यों नहीं दिया जाता?

श्री अध्यक्ष:–ऑर्डर! ऑर्डर!

प्रश्न संख्या ३१.

श्री अवनिकुमार (वि. सं. १):––Will the Home Minister be pleased to state.—

(i) How many cases were detected by the Anti-Corruption Department since the formation?

(ii) Whether enquiry was made into the corrupt cases?

श्री टीकाराम पालीवाल (मुख्य-मन्त्री):–(i) and (ii) 590 complaints were enquired into out of which 340 proved either to be frivolous or baseless. 168 complaints were, *prima facie*, substantiated against the officers, and recommendation for departmental action was made. The rest are pending enquiry.

The Department was reorganised in July, 1952, and an Anti-Corruption Branch, under the supervision of the I. G. P., has been constituted. 15 cases were detected red-handed by the Anti-Corruption Department after the formation of Anti-Corruption Branch.

श्री सन्तोषसिंह:–उनमें से कितने आदमियों को सजा दी गई? जो केस पकड़े गये हैं क्या उनमें से सभी को सजा दी गई?

श्री टीकाराम पालीवाल:–अभी तो कार्यवाही हो रही है; सजा एक दम नहीं दी जाती है।

श्री गोपीलाल यादव:–क्या हाइली पेड गजटेड आफिसर भी इनमें शामिल थे?

श्री टीकाराम पालीवाल:–यह मैं अभी नहीं बता सकता?

श्री भैरूसिंह:–क्या यह बात सही है कि एन्टी–करप्शन में कोई सीनियर अफसर नहीं है, इस कारण से गजटेड ऑफिसरों की इन्क्वायरी करने में इनफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स फील करते हैं?

श्री टीकाराम पालीवाल:–एन्टीकरप्शन विभाग आई० जी० पुलिस के चार्ज में है।

श्री मानसिंह:–क्या सरकार को मालूम है कि जब सरकारी अफसर रिश्वत खाते हैं तो वे सीधे नहीं खाते हैं, वे अपने एजेन्टों की मारफत खाते हैं। क्या इसके रोकने का भी इन्तजाम किया जायगा?

श्री टीकाराम पालीवाल:–हां, इस सम्बन्ध में जरूर सोचा जायगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास:–१६० केसेज जो पकड़े गये हैं उनमें से कितनों का प्रोसिक्युशन हुआ है?

श्री टीकाराम पालीवाल:–इस समय मेरे पास इस सम्बन्ध में ठीक फिगर्स नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास:–क्या एक भी केस दिया गया, यह नहीं बता सकते?

श्री टीकाराम पालीवाल:–हां, दिया गया।

श्री मानसिंह:–क्या इस सदन के सदस्यों की एक कमेटी बनाने का सरकार का विचार है?

श्री टीकाराम पालीवाल:–यह सुझाव सरकार के सामने आया है, इस पर विचार किया जायगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास:–डिपार्टमेन्टल एक्शन में ज्यादा से ज्यादा क्या सजा दी जा सकती है?

श्री टीकाराम पालीवाल:–डिपार्टमेन्टल एक्शन में डिसमिसल कर सकते हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास:–ऐसे केसेज कितने हुए हैं जिनमें डिसमिसल हुआ है?

श्री टीकाराम पालीवाल:–ऐसे आंकड़े इस समय मेरे पास नहीं हैं।

श्री भैरूसिंह:–क्या मंत्रियों की इन्क्वायरी भी यह एन्टीकरप्शन कमेटी कर सकती है?

श्री अध्यक्ष:–ऑर्डर, ऑर्डर।

प्रश्न संख्या ४०

श्री अबनिकुमार (वि. सं.):—Is the Education Minister aware of the fact that the students are not allowed to appear privately in the Intermediate Examination in Arts of the Rajputana University and as a result of this a very large number of students who cannot afford to attend Colleges for one reason or the other have to discontinue their studies. If so will the Education Minister be pleased to take up the matter immediately with the authorities of the Rajputana University.

श्री नाथूराम मिर्धा (अर्थ व शिक्षा मंत्री):–(१) इसका जवाब हां में है। युनिवर्सिटी एक ओटोनोमस बोडी है और एज्युकेशन (शिक्षा) का महकमा इस ओटोनोमस बोडी पर कोई एन्क्रोचमेन्ट करने का विचार नहीं रखता।

श्री भैरूसिंह:–क्या सरकार ऐसा विचार करने में कोई फायदा नहीं समझती?

श्री नाथूराम मिर्धा:–कोई फायदा नहीं समझती।

प्रश्न संख्या ४१

श्री अबनिकुमार (वि. सं. १):—Will the Law Minister be pleased to state:—

(i) In how many cases private lawyers were engaged by the Government during the period 1st May to 30th September, 1952?

(ii) What is the total amount paid as remuneration?

(iii) What is the specific policy of the Government with regard to engaging advocates other than the Government advocates?

श्री रामकिशोर व्यास:—(i) During the period 1st May to 30th September, 1952 private Legal Practitioners were engaged in 81 cases.

(ii) A sum of Rs. 2,701/- has been paid to private Legal Practitioners engaged during the above period. In some cases, however, fees have yet to be assessed.

(iii) Private Legal Practitioners are engaged by Government either when the Government Advocates are unable to appear in any particular case for want of time due to engagement in other Government business or are otherwise not available, or when any particular case is of some far reaching importance requiring more eminent Counsel than our Government Counsel.

श्री अश्विनिकुमार:—Will the Minister please place on the table of the House a list of such advocates engaged during that period.

श्री रामकिशोर व्यास:—यदि आप चाहें तो कुछ समय बाद रखी जा सकती है।

श्री हरिकृष्ण व्यास:—If the Legal qualifications of the Advocate General are not adequate in important cases, what is the reason to engage two Advocate Generals?

श्री रामकिशोर व्यास:—कभी कभी ज्यादा योग्य आदमियों की आवश्यकता हो जाती है।

श्री मानसिंह:—कुछ समय से देखा गया है कि वर्तमान सरकार की नीति किसी खास आदमी को प्रोवाइड करने की रहती है। क्या सरकार इस बात को ध्यान में रखेगी कि अवसर योग्यता के आधार पर दिया जायगा न कि पार्टी के आधार पर?

श्री रामकिशोर व्यास:—आपका यह कहना बिल्कुल गलत है। योग्यता के अनुसार ही एंगेज किये जाते हैं।

श्री मानसिंह:—सरकार ने अब तक बहुत से वकीलों को एन्गेज किया है उनमें कांग्रेसी सदस्यों के अलावा दूसरे कितने हैं?

श्री रामकिशोर व्यास:—यह आपका कहना गलत है। बाहर से आने वालों में सर शीतलवाड़ जैसे लोग भी हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास:—क्या इस मामले में सरकार बार एसोशियेशन की राय लेने को तैयार है?

श्री रामकिशोर व्यास:—जी नहीं, इसकी आवश्यकता मालूम नहीं होती ।

प्रश्न सख्या ४२

श्री अवनिकुमार (वि. सं. १):—Is the Home Minister aware that certain anti-social elements are vehemently active in the rural areas and are instigating the cultivators to take the law into their own hands. If so what action the Government proposes to take against them ?

Shri Tikaram Paliwal:—Government are aware that certain anti-social elements are active in some of the rural areas. It will, however, not be in public interest to give details and steps which Government propose to take against them. They have the closest attention of Government. We shall not hesitate to have recourse to all the power which Government have under the law in order to frustrate the anti-social elements in their lawless pursuits.

श्री हरिकृष्ण व्यास:—Is the Government aware of certain anti-social elements which are oppressing the cultivators?

श्री टीकाराम पालीवाल:—Yes, it is true.

Question No. 43

श्री अवनिकुमार (वि. सं. १):—Will the Chief Minister be pleased to state:—

(i) Whether a Non-Rajasthani was directly appointed as the Director of Public Relations without making the necessary reference to the Public Service Commission?

(ii) What are the academic qualifications of the above mentioned officer ?

(iii) What emoluments are paid to him ?

(iv) Whether there was dearth of suitable Rajasthani for the post concerned ?

Shri Tikaram Paliwal:—(1) It is true that a person who was never a resident of Rajasthan has been directly appointed as Director of Public Relations. A prior reference to the Public Service Commission was not made as the period of his appointment was only 6 months on a temporary basis and the

P. S. C. (limitation of Functions) Regulations do not require a prior reference to be made when the period does not exceed 6 months. Subsequently Government decided to extend the period of this officer by another six months. A reference was accordingly made to the P. S. C. whose concurrence has been received.

Mr. Speaker.—Next.

Shri Abani Kumar:—Part II has not been replied, sir.

श्री टीकाराम पालीवाल:—(2) The academic qualifications of this officer are upto High School standard. He had worked on the staff of the All India Radio at Patna as Hindi Adviser for about a year as well as on the editorial staff of a number of dailies, weeklies and monthlies. He is an author of about 20 works in Hindi including novels, collection of poems, essays. He had worked with Behari Lal Ram Charan Group of Industries for about 8 years in different capacities, viz. Labour Officer, Welfare Secretary and Incharge Publicity Department.

(3) The officer is drawing a pay of Rs. 700/- p. m.

(4) During the integration of the Department, the Selection Board found no officer of the Department suitable for holding the post.

श्री अवनिकुमार:—Was there a dearth of suitable Rajasthanies to fill that post.

श्री अध्यक्ष:—The answer is there.

प्रश्न संख्या ४४

श्री जसवन्तसिंह:—Will the Minister for Education be pleased to state.—

(i) As to the total amount given in Grants-in-aid to private institutions ?

(ii) What are the institutions which receive as Grants-in-aid a sum of Rs. 10,000 (Ten Thousand) and over per annum ?

(iii) What is the criteria for granting Grants-in-aid ?

श्री नाथूराम मिर्धा:—(1) The total amount given in Grant-in-aid to private institutions is Rs. 17,40,000.

2. Institutions that receive a sum of Rs. 10,000 or over er annum. as Grant-in-aid:

B.J.S.R. Jain Inter College, Bikaner	.. Rs.	20,000
S.R High School, Ratan Garh	.. ,,	18,000
Gramothan Vidya Peeth Sangaria	.. ,,	18,000
Happy Middle School, Alwar	.. ,,	13,000
Mahila Vidya Peeth, Bhusawar	.. ,,	14,000
Seth G B. Poddar College, Nawalgarh	.. ,,	25,000
Sardar Sadan Inter College, Mukandgarh	.. ,,	21,240
Banasthali Vidya Peeth, Newai	.. ,,	92,664
S.K.N. College, Jobner	.. ,,	35,400
S.S G. Pareek College, Jaipur	.. ,,	18,500
S. S. Jain Subod High School, Jaipur	.. ,,	13,6[illegible]5
Khandelwal High School, Jaipur	.. ,,	17,460
M. R. S. High School, Kishangarh, Ranwal	.. ,,	10,032
Agrawal High School, Jaipur	.. ,,	11,589
Mahavir Jain Digamber High School, Jaipur.	,,	12,957
Scotish Mission High School, Jaipur	.. ,,	18,936
Bundi Municipal Area School,	.. ,,	11,640
Shri Paras Nath Inter College, Falna	.. ,,	11,500
Sumer Pustiker High School, Jodhpur	.. ,,	25,200
Pratap High School, Jodhpur	.. ,,	24,[illegible]40
Sardar High School, Jodhpur	.. ,,	31,206
Umaid High School, Jodhpur	.. ,,	22,467
Sumer High School, Jodhpur	.. ,,	16,163
Modern High School, Jodhpur	.. ,,	13,206
Bal Niketan, Jodhpur	.. ,,	13,212
Vedic Kanya Pathshala, Jodhpur	.. ,,	10,104
Vidya Bhawan High School, Udaipur	.. ,,	29,000
Teachers Training College, Udaipur	.. ,,	19,440
Balkrishan Vidya Bhawan, Kankroli	.. ,,	10,000
Rajasthan Vishva Vidyapeeth, Udaipur	.. ,,	39,000
Mahila Mandal, Udaipur	.. ,,	22,000
Bhupal Nobles High School, Udaipur	.. ,,	26,000
Rajasthan Mahila Vidyalaya, Udaipur	.. ,,	23,200
Gandhi Vidyalaya, Gulabpura	.. ,,	14,030
Head Office Vidya Bhawan Society, Udaipur	,,	14,360

3. As regards criteria there are printed rules for Grant-in-aid and are available with every Inspectors of Schools and aided institutions.

श्री जसवन्तसिंह:—क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि चौपासनी High School को Grant-in-aid से वंचित रखने में कोई खास कारण है ?

श्री नाथूराम मिर्धा:—इसके संबंध में मैंने गत अधिवेशन में विस्तार से कहा था, जो मैं समझता हूं काफी है ।

श्री अध्यक्ष:–आपको जो कुछ कहना है अब कहिये ।

श्री नाथूराम मिर्धा:–चौपासनी High School के लिये एक खास सेटलमेन्ट हुआ था। वहां की क्षत्रिय सभा ने कुछ लाख रुपये गवर्नमेन्ट को देने का वादा किया था और जोधपुर दरबार ने इसके लिये Surety दी थी। वह रकम अभी तक गवर्नमेन्ट को नहीं चुकाई गई है और जोधपुर दरबार जिनकी कि Surety थी उनका भी देहांत हो चुका है ।

श्री जसवन्तसिंह:–क्या हम यह समझें कि हमारे दुर्भाग्य से स्व० जोधपुर दरबार नहीं रहे तो यह Grant-in-aid चौपासनी High School को कभी नहीं मिलेगी ?

श्री गोपीलाल यादव:–क्या Grant-in-aid के बारे में वादे का सवाल था ?

श्री नाथूराम मिर्धा:–जी हां ।

श्री जसवन्तसिंह:–क्या उस खास सेटलमेन्ट में यह शर्त रखी गई थी कि जब तक यह वादा पूरा नहीं किया जायगा यानि रकम नहीं चुकाई जायगी तब तक Grant-in-aid नहीं दी जायगी ।

श्री नाथूराम मिर्धा:–इसके लिये Notice की जरूरत है ।

श्री अध्यक्ष:– Next

प्रश्न संख्या १५

श्री जसवन्तसिंह:–Will the Minister for Revenue be pleased to state as to what parts of Rajasthan have been invaded by swarms of locusts and whether any damage to crops and fodder has been done ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:–राजस्थान के बहुत से हिस्सों में खास तौर से जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और कुछ दूसरे जिलों में टिड्डियों के आक्रमण हुए हैं और गंगानगर तथा अलवर के Areas में भी टिड्डियें आई हैं। बिलाडा, तहसील जोधपुर, के हिस्से में टिड्डियों के आक्रमण हुए और शुरूआत में उनका रुख उत्तर-पूर्व की तरफ से था। तो ज्यादातर बीकानेर तथा जोधपुर में टिड्डियों ने नुकसान किया। फिर उनका रुख दक्षिण पूर्व में हो जाने से इस वक्त उदयपुर में टिड्डियों का आक्रमण हो रहा है। पहला आक्रमण हुआ उसमें फसल को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। इसके बाद September में जो आक्रमण हुआ उसमें काफी नुकसान हुआ है फार्मों में भी टिड्डी से नुकसान होने की सूचना मिली है। कुछ नुकसान का विवरण हम अभी तक प्राप्त कर रहे हैं ।

श्री संतोषसिंह:–क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि आपके पास यह समाचार लिखित रूप में ही आए हैं या मंत्री महोदय खुद मौके पर दौरा करने गये थे और देख कर आए हैं ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:–मैं समझता हूं टिड्डियें जिस तेजी से आरही हैं उस तेजी से मन्त्री लोग सब जगह नहीं पहुंच सकते। मैंने कुछ जगह के दौरे अवश्य किए हैं।

श्री जसवन्तसिंह:–इन प्रश्नों के पूछने का जो वास्तविक मतलब था वह प्रश्नों के उत्तर से हल नहीं हुआ है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि पशु और आदमी मरे उससे पहले गवर्नमेन्ट क्या इस बात की कोशिश कर रही है कि जरूरतमंदों को रिलीफ पहुंचाया जाय ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:–माननीय सदस्य का इस प्रश्न से सम्बन्धित सवाल नहीं है। मैं यह बताना चाहता हूं कि गवर्नमेन्ट यह मान कर चलती है कि जहां मरने का खतरा हो वहां पहले रिलीफ शुरू किया जाय।

श्री जसवन्तसिंह:–वहां जो वास्तविक स्थिति है और जो हालत हो रही है उससे सरकार परिचित नहीं मालूम होती।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:–मैं आपसे पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि जहां भी रिलीफ की आवश्यकता होती है, फौरन और तत्काल व्यवस्था की जाती है।

श्री जसवन्तसिंह:–मैं माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि बीकानेर के मगरों के लिए कितनी मदद दी गई है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:–मैं इस प्रश्न का पहले ही जवाब दे चुका हूं।

श्री गोपीलाल यादव:–क्या मिनिस्टर महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि भरतपुर में पाथने ग्राम में कुछ जोगी ऐसे रहते हैं जो खेती पर टिड्डियां को बैठने नहीं देते, क्या उनकी सर्विसेज़ एवेलेबल करने की कोशिश की गई ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:–मुझे यह बात मालूम नहीं है। मैं माननीय सदस्य को इस सूचना के लिए धन्यवाद देता हूं मैं उनसे अकेले में इस सम्बन्ध में बात करूंगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास:–चूरू जिले के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा गया है, क्या वहां कोई टिड्डियों का आक्रमण नहीं हुआ ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:–मैंने पहले ही कह दिया था कि बीकानेर डिविजन में टिड्डियों का आक्रमण हुआ है। चूरू भी बीकानेर डिविजन के अन्तर्गत आजाता है।

प्रश्न सख्या ४६

Shri Jaswant Singh:—Will the Minister for Revenue be pleased to state the rainfall condition in Rajasthan this year and whether the scarcity of rainfall was verging on famine conditions in any part of Rajasthan ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:—जून और जुलाई महीने में राजस्थान के कुल हिस्सों में बारिस ठीक थी। उसके बाद पिछले हिस्से के अन्दर बारिस की कमी हुई और उससे, सिवाय कोटा डिविजन के, जयपुर डिविजन, जोधपुर डिविजन का बहुतसा हिस्सा, बीकानेर डिविजन, उदयपुर डिविजन और भील क्षेत्र, जोधपुर डिविजन की कुछ तहसीलें और जयपुर डिविजन की कुछ तहसीलों में फसल को नुकसान हुआ।

श्री जसवन्तसिंह:—क्या आप अन्दाज बता सकते है कि कितना नुकसान हुआ ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:—यह डिटेल्स की बात है। यदि माननीय सदस्य चाहें तो इसको मैं टेबल पर रख सकता हूं।

श्री जसवन्तसिंह:—क्या ऐसी कोई Condition नहीं हुई कि जिसे अकाल कहा जा सके ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:—आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा रही है।

श्री जसवन्तसिंह:—क्या मैं उम्मीद करूं कि पशु और मनुष्यों के मरने के पहले ही जानकारी प्राप्त करली जायगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:—पिछले साल भी भयंकर अकाल था और जांच करने के बाद ही अकाल नवम्बर में घोषित किया गया। मैं कह सकता हूं कि जल्दी से जल्दी इस विषय में जानकारी प्राप्त की जा रही है।

श्री भैरूंसिंह:—क्या किशनगढ के उपचुनाव के बाद तो कहीं वहां अकाल नहीं पड़ गया है ? (हंसी)

प्रश्न संख्या ४७

(72/S) **Shri Jaswant Singh, M.L.A.** *Div. No.* 66: Will the **Minister for Revenue** be pleased to state:

(*i*) The amount provided in the last year's budget for relief in connection with last year's famine ?

(*ii*) What amount was provided per division ?

(*iii*) How much was spent in each division ?

Page No 13

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:—पिछले फेमिन के वक्त में ५१, ५२, ५३ के लिए १ करोड़ १४ लाख रुपया रिलीफ के लिए और तकावी के लिए ५१ लाख ८४ हजार रुपया सेंक्शन किया गया था। उसमें से एलोटमेन्ट एक्स्पेन्डीचर डिविजन वार इस प्रकार है:—

बीकानेर डिविजन	रिलीफ वर्क	८,००,०००
	तकावी	१२,२०,०००
उदयपुर डिविजन	रिलीफ वर्क	५३,००,०००
	तकावी	१५,००,०००
जोधपुर डिविजन	रिलीफ वर्क	३८,००,०००
	तकावी	८,५०,०००
जयपुर डिविजन	रिलीफ वर्क	६,००,०००
	तकावी	६,००,०००
कोटा डिविजन	रिलीफ वर्क	२,००,०००
	तकावी	७,५०,०००

श्री जसवन्तसिंह:—एरिया के लिहाज से बीकानेर डिविजन का एरिया सबसे ज्यादा है और वहां पर अकाल भी जोरों से पड़ा था। वहां केवल ८ लाख ही रिलीफ के लिए दिये गये और जबकि उदयपुर में ५३ लाख दिया गया। मैं जानना चाहता हूं कि उदयपुर को इतनी रकम देने में क्या कोई खास कारण था?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:—एरियाज का कोई खास ख्याल नहीं रखा गया। एफेक्टेड एरियाज का ख्याल रखा गया है।

बीकानेर डिविजन की ९ लाख की आबादी है और रकम जो एलोट की गई है उसके हिसाब से प्रति व्यक्ति २।) रु० आता है जबकि उदयपुर डिविजन की २६ लाख की आबादी है और प्रति व्यक्ति २॥) रखा गया है।

श्री मानसिंह:—जयपुर डिविजन की क्या आबादी कम है? फिर यहां क्यों रकम कम रखी गई?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:—मैं पहले ही कह चुका हूं कि एफेक्टेड एरियाज का खास तौर से ध्यान रखा गया था।

श्री मानसिंह:—क्या जयपुर डिविजन में अकाल पड़ा ही नहीं?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:—जितना पड़ा उसके हिसाब से खर्चा रखा गया।

प्रश्न संख्या ४८

श्री दामोदरलाल व्यास, एम एल. ए. डिवीज़न नं० ३३:—क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

विधान सभा के गत अधिवेशन में तारांकित प्रश्न संख्या ३७ के उत्तर में जल्दी से जल्दी कर दिये जाने का आश्वासन दिये जाने के बावजूद भी और ५ महीने व्यतीत होजाने पर भी अभी तक कन्डेन्स्ड एम. बी. बी. एस. पास किये हुए डाक्टरों को सी. ए. एस. क्लास वन क्यों नहीं बनाया गया ? और उसके उपरान्त भी ६ नई नियुक्तियां सी. ए. एस. क्लास वन में क्यों की गई ?

श्री रामकिशोर व्यास:—The question regarding the promotion of C.A.S. Class II who have passed the Condensed M.B.B.S. course is being taken up with the Public Service Commission. The matter took some time as the strength of the service was under examination. No fresh appointments have since been made in the cadre of C.A.S. Class I except six Medical Graduates who were working honorarily and have been entertained as C.A.S. Class I temporarily for a period of six months owing to exigencies of service. This number includes one Lady Doctor appointed temporarily on account of paucity of Lady Doctors.

श्री कंवरलाल जेतिया:—प्रश्न हिन्दी में और उत्तर अंग्रेजी में दिया जा रहा है।

श्री रामकिशोर व्यास:—तसल्ली रखिये। हिन्दी में भी इसका उत्तर दे दिया जावेगा।

कन्डेन्स्ड एम. बी. बी. एस. पास किये हुए डाक्टरों को सी. ए. एस. क्लास में चढा देने का प्रश्न पब्लिक सर्विस कमीशन को सौंप दिया गया है। इनकी सर्विसेज को इन्टेग्रेट करने में और नियुक्तियां करने में समय लगेगा। नया कोई भी आदमी नियुक्त नहीं किया गया, सिवाय छः के; पांच पहले वर्क कर रहे थे और एक लेडी डाक्टर, क्योंकि लेडी डाक्टर की बहुत कमी है।

श्री हरिकृष्ण व्यास:—उनके साथ क्या कोई खास रियायत की गई ? उनको प्रमोशन्स क्यों दिये गये, जबकि दूसरों का मामला अभी तक पड़ा हुआ है ?

श्री रामकिशोर व्यास:—सवाल आप समझे ही नहीं। वे खुद एम.बी. बी.एस. थे और पहले से ओनरेरी काम कर रहे थे।

श्री हरिकृष्ण व्यास:—दूसरों को क्यों नहीं लिया गया ?

—

श्री रामकिशोर व्यास:—सवाल चल रहा है।

श्री हरिकृष्ण व्यास:—उनको रखा क्यों नहीं गया ?

श्री दामोदरलाल खण्डेलवाल:—Whether it has been almost taken or not ?

श्री रामकिशोर व्यास:—I think it is almost taken.

श्री दामोदरलाल खंडेलवाल:—"Almost taken" is ambiguous. I want to know whether it is taken or not.

(Silence)

श्री दामोदरलाल खन्डेलवाल:—Sir, I want to put some more Questions.

लास्ट सेशन में भी माननीय मंत्रीजी ने यह बतलाया था कि इसका फैसला जल्दी ही कर दिया जावेगा; किन्तु छः महीने होगये हैं और अभी तक यह मामला तय नहीं हुआ है। मैं जानना चाहता हूँ कि अब और कितना समय लगेगा ?

श्री रामकिशोर व्यास:—पब्लिक सर्विस कमीशन कितना समय लेगा यह मैं नहीं कह सकता।

प्रश्न संख्या ४६

श्री गुरूदयालसिंह सन्धु:—क्या माननीय राजस्व मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:—

गंगानगर जिले में किन शर्तों पर और कितनी भूमि बिना भूमि के मुजारों कीमतन और आरजी काश्त पर दी गई है ? तथा आरजी काश्त पर अधिक से अधिक कितने ठेके पर बोली हुई है और पुराने भूमिहीन मुजारों को क्यों बेदखल किया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:—गंगानगर तहसील के अन्दर लेन्डलेस टिनेन्टस को राजपत्र में प्रकाशित रेवेन्यु डिपार्टमेन्ट की विज्ञप्ति संख्या ३ (३७५) तारीख २५ अगस्त १९५१ के अनुसार इरीगेटेड एरिया में १२॥ बीघा प्रति व्यक्ति और बारानी भूमि का ५० बीघा प्रति व्यक्ति (लेन्ड लेस टिनेन्टस) को देने की व्यवस्था की गई।

ज्यादातर जमीन इस प्रकार की जमीन है कि पहले टेम्परेरी कल्टिवेशन के लिए हर साल दी जाती रही है। टेम्परेरी कलटीवेशन के लिए जो जमीन वहां पर है वह गवर्नमेन्ट के पास वापिस आजाती है उसको दुबारा दिये जाने की व्यवस्था की जाती है। ज्यादा से ज्यादा कीमत पर कितनी दी गई इस बारे

में जानकारी की जा रही है। जो व्यक्ति लेन्डलेस टिनेन्ट्स की व्याख्या में आते हैं उनमें से किसी को भी जमीन से अलग नहीं किया गया। उस व्याख्या में जो नहीं आते उनको जमीन से बेदखल किया गया है।

श्री हरिकृष्ण व्यासः—यह काम क्या किन्हीं वितरण कमेटियों के हाथों म सौंपा जा रहा है?

श्री मोहनलाल सुखाड़ियाः—अलग अलग जगह की तहसील कमेटियों के हाथों में सौंपा जा रहा है।

श्री एच. के. व्यासः—क्या इन तहसील कमेटियों में कांग्रेस के अलावा अन्य सज्जनों को भी रखने का प्रयत्न किया गया है?

श्री मोहनलाल सुखाड़ियाः—ऐसा नहीं है। सरकारी अधिकारियों को अनिवार्य रूप से रखा जाता है।

श्री एच. के व्यासः—सरकारी अधिकारियों के सिवाय नोन-ओफिशियल मेम्बर भी रखे जाने की व्यवस्था है; यह मेरा सवाल था।

श्री मोहनलाल सुखाड़ियाः—उस क्षेत्र की जो ज्यादा से ज्यादा जानकारी रखते ह उन्हीं व्यक्तियों को रखा जाता है।

श्री जसवन्तसिंहः—क्या कांग्रेस के व्यक्तियों से ज्यादा जानकारी रखने वाले अन्य व्यक्ति नहीं हैं; जिनको इन कमेटियों में रखा जा सके।

श्री मोहनलाल सुखाड़ियाः—मैंने यह कहा था कि जो व्यक्ति उस क्षेत्र की जानकारी ज्यादा रखते होंगे उन्हीं को रखा जायगा। उसमें कांग्रेसी भी हो सकते हैं और दूसरे भी।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धुः—मैं बता सकता हूं कि जो लेन्डलेस टिनेन्ट्स थे उनमें से ६० फीसदी लोगों को बेदखल किया गया।

श्री मोहनलाल सुखाड़ियाः—जो लेन्डलेस टिनेन्ट्स की व्याख्या में आते हैं उनमें से किसी को बेदखल नहीं किया गया।

श्री गोपीलाल यादवः—मैं ऐसी कमेटियों के नाम बता सकता हूं जिनमें शत प्रतिशत कांग्रेसियों को ही रखा गया है?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मुझे ठीक तो याद नहीं पड़ता लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि हनुमानगढ़ तहसील में जो कमेटी बनायी गई है उसमें नोन-कांग्रेस मेन हैं।

श्री मानसिंहः—क्या आयन्दा आप नॉन-कांग्रेसियों को कमेटियों में रखने की ओर खास कदम उठायेंगे।

श्री अध्यक्षः—ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री हरिकृष्ण व्यासः—क्या माननीय मुख्य मंत्री जब हनुमानगढ़ गये थे तब उनके सामने, जो पक्षपात पूर्ण व्यवहार किया गया था उसके विरोध में किसी प्रकार प्रदर्शन नहीं किया गया था?

श्री मोहनलाल सुखाड़ियाः—नहीं।

प्रश्न संख्या ५०

श्री गुरुदयालसिंह सन्धुः—क्या माननीय राजस्व मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे किः—

(अ) गंगानगर जिले में किसानों को अपनी देहाती आबादी से (गांव से) अपनी भूमि तक जाने के लिये और मंडियों को अनाज ले जाने के लिए कोई रास्ते नहीं है और जो थोड़े रास्ते हैं उन पर भी तो पुलिया नहीं है जबकि सस्ते भावों के दिनों में, बीकानेर सरकार ने उनसे डेढ रुपया बीघा सख्ती से पुलियों के लिए वसूल किया था?

और (ब) इन पुलियों और रास्तों का क्या प्रबन्ध कर रहे हैं? और यदि नहीं तो क्यों?

श्री भोगीलाल पंड्याः—हालांकि यह प्रश्न राजस्व मंत्री को पूछा गया था लेकिन मेरे से यह संबन्धित है, मैं इसका जवाब देता हूं।

गंगानगर जिले में किसानों को अपने गांवों से मंडियों तक अनाज लेजाने के लिए आम तौर से सड़कों की व्यवस्था है। डेढ रुपया प्रति बीघा के हिसाब से जो रकम बीकानेर सरकार द्वारा पानी के रास्ते एवं पुलियाओं के लिये वसूल की जानी चाहिये थी वह १५,१५,१०६ रुपये ११ आना ३ पाई है। उसमें से १४ लाख ८२,३२८ रुपये ८ आना ६ पाई वसूल हुए और ३२,७७८ रुपये २ आना ९ पाई वसूल होने बाकी हैं। उनमें से वाटर कोर्सेन पर १०,२५,८६१ रुपये और ११८५ पुलिया बनाने में ३,२९,६५५ रुपये खर्च किये गये हैं। पुलिये बनाने के लिए इस साल के बजट में ८० हजार रुपये रखा गया है।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु:--क्या इस रकम में नहरों पर बने हुए पुलिये भी शामिल हैं?

श्री भोगीलाल पंड्या:--हां।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु:--रुपया जो वसूल किया गया है वह सिर्फ उन पुलियों के लिये था जो देहाती थलों के ऊपर थे, तो फिर नहरों के पुलियों पर वह पैसा क्यों खर्च किया जा रहा है?

श्री भोगीलाल पंड्या:--केनाल के उपयोग के लिए रूपया इकट्ठा किया गया था उसीके उपयोग में लाया जा रहा है। इस साल के बजट में इस कार्य के लिए ८० हजार रूपये खर्च करने के लिए रखे गये हैं।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु:--इन पर काम कितने सालों में पूरा हो जायगा।

श्री भोगीलाल पंड्या:--इस साल ८० हजार रुपया खर्च किया जा रहा है। अगले साल फिर रखा जायगा। सब कार्य तो एक साथ नहीं किये जा सकते।

प्रश्न संख्या ५१

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु:--क्या माननीय खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:--

राजस्थान में ब्लेक मार्केटिंग (चोर बाजारी) के कितने केस हुए? उनमें से कितने सफल हुए? कितने रजिस्टर हुए तथा कितनों का चालान हुआ और अभी कितने जेर तफतीश हैं और कितने समय से? जिलावार बताने की कृपा करें?

श्री भोगीलाल पंड्या:--१९५१ में ६५ केसेज ब्लेक मार्केटिंग के रजिस्टर किये गये जिनमें से ३२ का कोर्ट में चालान हुआ ९ केस ऐसे थे जिनको सजा हुई और ६ केसेज में मुलजिम एक्विटं होगये तथा डिस्चार्ज होगये। १७ मामलों का फैसला होना बाकी है और ३१ केसेज की फाइनल रिपोर्ट आगई है, दो का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है।

जनवरी १९५२ और अगस्त में ३२ केसेज रजिस्टर हुए हैं, ७ का चालान हो चुका, डिस्चार्ज कोई नहीं हुआ। ८ की इन्वेस्टिगेशन चल रही है।

डिविजन वार सूचि इस प्रकार है:--

ब्लेक मार्केटिंग की जिलावार सूची। जनवरी ५१ से दिसम्बर ५१ तक

जिले का नाम	केसेज जो रजिस्टर हुए	केसेज जो कोर्ट में चालान किये	केसेज जिनमें सजा हुई	केसेज जिनमें डिस्चार्ज या एक्विट हुए	केसेज जो कोर्ट में चल रहे हैं	केसेज जिनमें अन्तिम रिपोर्ट दे दी गई	केसेज जिन में जांच हो रही है।
१	२	३	४	५	६	७	८
उदयपुर डि०							
उदयपुर	६	१	..	..	१	४	१
डूंगरपुर	७	४	..	२	१	३	..
चितौड़	५	२	१	..	१	२	१
बांसवाड़ा	४	१	१	..	..	३	..
भीलवाड़ा	३	१	१	..	..	२	..
	२५	९	३	३	३	१४	२
जयपुर डि०							
जयपुर	३	३	..	..	३	..	..
सीकर	२	..	..	..	..	२	..
झुन्झुनू	१	..	..		..	१	..
	६	३	..	..	३	३	..
बीकानेर डि०							
बीकानेर	२	१	..	..	१	१	..
गंगानगर	४	३	..	..	३	१	..
	६	४	..	..	४	२	..
कोटा डि०							
कोटा	२१	१३	४	३	६	८	..
बूंदी	२	..	..	..	..	२	..
	२३	१३	४	३	६	१०	..
जोधपुर डि०							
जोधपुर	५	३	२	..	१	२	—
	५	३	२	..	१	२	..
कुल योग	६५	३२	९	६	१७	३१	२

श्री भैंरूसिंह:—जिन मुकद्दमात की फाइनल रिपोर्ट आगयी है उनमें से कितने कितने किस किस प्रकार के थे कितने लोहे, कितने कपड़े के आदि आदि ।

श्री भोगीलाल पंड्या:—इसके लिये समय की आवश्यकता है; हरएक की अलग अलग रिपोर्ट बतायी जा सकती है ।

श्री छोटूसिंह:—क्या माननीय मंत्री महोदय को यह प्रगति देखकर सन्तोष है कि ब्लेक मार्केटिंग समाप्त होगया है ?

श्री भोगीलाल पंड्या:—ब्लेक मार्केटिंग खत्म होगया है ऐसा तो मैं नहीं मानता लेकिन काफी कम हुआ है। कपड़े शक्कर आदि में तो अब स्लम्प आने के पश्चात इस चीज की गुंजाइश नहीं है। अनाज आदि में जो हो रहा है उसको दूर करने की कोशिश की जारही है, भरसक प्रयत्न किया जा रहा है ।

श्री भैंरूसिंह:—सीकर डिस्ट्रिक्ट के जो दो केसेज बताये गये हैं उनमें दांता रामगढ कांग्रेस के अध्यक्ष का मामला भी शामिल है या नहीं ।

श्री अध्यक्ष:—ऑर्डर, ऑर्डर ।

श्री भोगीलाल पंड्या:—इस प्रकार का सवाल में उल्लेख नहीं था वरना उसका भी जवाब दे दिया जाता ।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु:—क्या सरकार यह बतलाने की कोशिश करेगी की जो केसेज हुए उनमें से ज्यादा फेल क्यों हुए ?

श्री भोगीलाल पंड्या:—ज्यादा परसेन्ट फेल नहीं हुए ।

श्री भैंरूसिंह:—जिन केसेज की रिपोर्ट आगई है उनके.........

श्री भोगीलाल पंड्या:—कभी आपको समय मिले तो आप मेरे पास पधारें तो मैं आपको उनकी रिपोर्ट बता दूंगा या मैं उसे टेबल पर रख सकता हूं ।

श्री भैंरूसिंह:—क्या राजस्थान में चोर बाजारी समाप्त हो गई; हम ऐसा समझ लें ?

श्री भोगीलाल पंड्या:—चोर बाजारी समाप्त नहीं हुई मगर चोर बाजारी में काफी कमी हुई है; यह मैं अवश्य मानता हूं । इसके अलावा कपड़ा शक्कर आदि पर तो कंट्रोल नहीं रहा, अनाज पर कन्ट्रोल जरूर है ।

श्री भैंरूसिंह:—सीकर के दो काला बाजारी करने वाले सदस्यों में से एक दांता रामगढ के कांग्रेस अध्यक्ष भी थे। क्या मुकद्दमे में उनका नाम भी शामिल किया गया या नहीं ?

श्री अध्यक्ष:–नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या ५२

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु:–क्या माननीय पृथक राजस्व विभाग मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

राजस्थान सरकार बीकानेर सरकार के गंगानगर जिले के नहरी इलाके के किसानों से किये गये १६२४ तथा १६४० के वायदों पर पावन्द है? जिसकी धारा १७ के अनुसार राजस्थान सरकार कृषि उपज पर कोई जकात नहीं लगा सकती। यदि है तो सरकार कृषि उपज पर कब तक जकात समाप्त कर रही है? और नहीं तो क्यों?

श्री भोलानाथ:–गंगानगर जिले के नहरी इलाकों में किसानों से किये गये १६२४ तथा १६४० के वायदे पूरे होने का प्रश्न राजस्थान सरकार के सामने उपस्थित नहीं होता; क्योंकि राजस्थान में भूतपूर्व बीकानेर स्टेट राजस्थान में मिलने से पहले सरसों, तारामैरा आदि चीजों पर चार आना फी मन के हिसाब से दूसरी तरह का टैक्स लगता था।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु:–जब नये टैक्स व इनकमटैक्स लग रहे हैं तो फिर इसको खत्म क्यों नहीं किया जाय?

श्री भोलानाथ:–कस्टम टैक्स खुद ही कुछ समय में खत्म हो जाएगा।

एक सदस्य:–कब तक खत्म हो जावेगा?

श्री भोलानाथ:–यह तो सन् १६५५ में खत्म होने वाला है।

प्रश्न संख्या ५३

श्री तेजपाल:–क्या मुख्य मंत्री महोदय यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि:–

पुरानी रियासतों की राजधानियां या उनके अन्य (हैडक्वार्टस) प्रमुख कार्यालयों में अभी तक उनके राजाओं के चित्र (क्यों) लगे हुवे हैं? क्या उनके हटाये जाने की व्यवस्था नहीं की जा सकती?

श्री तेजपाल:–माननीय अध्यक्ष, मैं यह प्रार्थना करूंगा कि पुरानी रियासतों की ८० प्रतिशत राजधानियों के कार्यालयों में अभी तक उनके राजाओं के चित्र (क्यों) लगे हैं? क्या उनके हटाये जाने की व्यवस्था नहीं की जा सकती? इस प्रकार मेरे प्रश्न को पढ़ा जावे।

श्री टीकाराम पालीवाल:–यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

श्री गोपीलाल यादव:—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कोशिश करेंगे कि पुराने राजाओं के चित्र को हटाये जाने के प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है? अब भी उनको राजा ही कहा जा रहा है या उनको एक्स रूलर्स कहना शुरू कर दिया है या उनकी तस्वीरों पर आपको विचार करने का अधिकार है तो यहां पर अंग्रेजों की जो स्टेच्यूज हैं उनको हटाने का क्यों नहीं सोचते? जिन राजाओं की सेवाओं की वजह से श्रीमन् राजप्रमुख ने राजस्थान के इतिहास को गौरवपूर्ण बताया तो क्या सरकार उनकी तस्वीरों को भी हटाना चाहती है। आज जो उनकी तस्वीरों को हटा सकती है तो कल पटेल की तस्वीर को क्या नहीं हटा सकती।

श्री अध्यक्ष:—The Question is under consideration and it is not yet decided

श्री एच० के० व्यास:—गवर्नमेंट इस पर कब तक अपना फैसला देगी ?

श्री टीकाराम पालीवाल:—विचार कर रही है; विचार का निर्णय होने पर तय किया जाएगा।

श्री एच० के० व्यास:—क्या हम आशा करें कि इसका फैसला जल्दी ही होगा ?

एक सदस्य:—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जनता, राजा और सरकार दोनों के प्रति जिम्मेवार है या केवल सरकार के प्रति ही जनता की जिम्मेवारी है।

श्री टीकाराम पालीवाल:—केवल सरकार के प्रति।

एक सदस्य:—क्या सरकार अपना फैसला देने के पहले स्थानीय जनता की राय भी लेगी ?

श्री टीकाराम पालीवाल:—इस सवाल पर जनता की राय लेने का प्रश्न नहीं आता।

प्रश्न संख्या ५४

श्री तेजपाल:—क्या पुनःसंस्थापन मंत्री महोदय यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि भरतपुर और अलवर जिले में निष्क्रान्त मुसलमानों की कितनी भूमि थी ? इस भूमि में से कितनी पुरुषार्थी, कितनी मेवों व दूसरे मुसलमानों, कितनी पुराने स्थानीय जोताओं और कितने नये भूमिहीन किसानों को और तीस बीघा से ज्यादा जमीन पहले से ही जोतनेवाले जोताओं को अलाट की गई है ? इनमें हरिजनों की संख्या, प्रतिशत कितनी है ?

श्री अमृतलाल यादव:—(१) ४७६९९७ एकड़ भूमि थी।

(२) २४३१६ एकड़ पुरुषार्थियों को, मेव व दीगर मुसलमानों को १७६०५ एकड़ स्थानीय जोताओं को ५०१०४ एकड़, नये भूमिहीन किसानों को लगभग ६००० एकड़, ३० बीघा से ज्यादा वाले जोताओं को कोई जमीन नहीं दी गई। ३० बीघा से अधिक वाले काश्तकारों को गत वर्ष जमीन देते समय कोई सीमा नहीं लागू की थी

किन्तु इस वर्ष इस सीमा का उलंघन नहीं किया और जो अलाटमेन्ट में इसके विरुद्ध थे वे ठीक कर दिये गये।

(३) स्थानीय एवं पुरुषार्थि हरिजनों की यह सम्मिलित संख्या लगभग २० प्रतिशत के है।

प्रश्न संख्या ५५

श्री कुंवर देवीसिंह:—क्या माननीय जेल विभाग के मंत्री महोदय यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि:—

(अ) जयपुर जेल में कैदियों ने सन् १९२५ में कितनी बार भूख हड़तालें की? भूख हड़ताल वालों का कितना नम्बर था? और हड़ताल के क्या कारण थे?

(ब) क्या यह ठीक है कि जेल कोटड़ी में राजकुमार नायक, टी० बी० का मरीज, रहता था उसी में केसरीसिंहजी एम० एल० ए० को रखा गया?

मैंने जो प्रश्न भेजा था उसमें १९५२ लिखा था मगर इस प्रश्न में १९२५ छपा है।

श्री अध्यक्ष:—मिसप्रिन्ट से हो गया है।

श्री टीकाराम पालीवाल:—१९२५ में कितनी भूख हड़तालें हुई?

श्री एच० के० व्यास:—क्या मिसप्रिन्ट की जिम्मेवारी सरकार पर है या प्रश्न पूछने वाले पर है? प्रश्न कर्ता ने पहले ही यह बतला दिया था कि यह मिसप्रिन्ट है।

श्री टीकाराम पालीवाल:—12 times since January, 1952, upto 6th October, 1952, on different dates as per statement enclosed.

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

29 persons went on hunger-strike during this period. The reason for hunger strike in each case has been entered in the list in the remark column.

श्री अध्यक्ष:—The statement should be placed on the Table of the House.

Shri Tika Ram Paliwal:—(ब) The reply is in the affirmative.

But the room was thoroughly disinfected under medical supervision. After it was vacated by Rajkumar Naik and disinfected there was no chance of any infection. Shri Kesri Singh remained in perfect health throughout his stay in jail.

श्री कुंवर देवीसिंह:—क्या मंत्री महोदय इस बात को बतलाने की कोशिश करेंगे कि जिस कोटरी में टी. बी. का मरीज रखा गया था उसी कोटरी में केसरसिंहजी को कैसे रखा गया? उस कोटड़ी के कीड़े आध घन्टे में कैसे मर गये होगें

श्री टीकाराम पालीवाल:–उस कोटड़ी को मेडिकल एडवाइस के अनुसार थोरोली डिसइन्फेक्ट करा दिया गया था। उस कोटड़ी को साफ करा दिया गया था।

श्री देवीसिंह:–क्योंकि मैं उनके साथ था और उन्होंने मुझे कहा था कि उनके सामने ही दूसरे कैदी को निकाल कर उसी समय उनको वहां भेजा गया था।

श्री टीकाराम पालीवाल:–It was thoroughly disinfected under medical supervision.

श्री इंद्रनाथ मोदी:–Was there no other place where the detenu could be placed with greater safety ?

श्री टीकाराम पालीवाल:—He was there in perfect safety and remained in excellent health.

श्री जसवन्तसिंह:–"एक्सीलेन्ट हैल्थ" रही यह उनकी खुश किस्मती थी पर सरकार ने क्या किया ?

श्री टीकाराम पालीवाल:-Not only that but he also improved in weight. (हंसी)

श्री इन्द्रनाथ मोदी:–Whether the detenu improved in health or not is the question that was put to the Hon'ble Chief Minister. THE QUESTION was whether there was no other place where the detenu could be placed with greater safety and I think we are entitled to a straight answer ?

श्री टीकाराम पालीवाल:–Yes, I say that the place where he was kept was the best possible and he was there in perfect safety

प्रश्न संख्या ५६

श्री कुंवर देवीसिंह:–क्या माननीय वाणिज्य एवं व्यवसाय विभाग के मंत्री महोदय यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि:–

डूंगरपुर स्टेट के समय में कत्था फेक्ट्री की क्या आमद थी और अब क्या है ?

श्री रामकिशोर व्यास (वाणिज्य मंत्री):–इस प्रश्न का संबंध वाणिज्य व्यवसाय से नहीं है बल्कि वन विभाग से है लेकिन जो कुछ सूचना मिल सकी है वह मैं पेश करता हूं। कत्था डूंगरपुर में वहां के वन विभाग की निगरानी में हुआ करता था। उसकी आय के आंकड़े जो मालूम हुए हैं वे इस प्रकार है:–

सन् ४६-४७ में १,०६,२६९ रु०, सन् ४७-४८ में १,२२,६५० रु०, सन् ४८-४६ में १,२९,१७८ रु० की आमदनियें हुई। इसके बाद वन विभाग ने इस को कांट्रेक्ट सिस्टम पर कायम किया जिसके आंकड़े ये हैं।

सन् ४६-५० में ६५,२६० रु०, सन् ५०-५१ में ३२,५०० रु० और ५१-५२ में १,५१,७०० रु०

प्रश्न संख्या ५७

श्री कुंवर देवीसिंह:--क्या माननीय वन-विभाग के मंत्री महोदय बतलाने का कष्ट करेंगे कि:-

डूंगरपुर स्टेट के समय वहां के जंगलात की क्या आमदनी थी और अब क्या है ?

श्री अमृतलाल यादव:-डूंगरपुर स्टेट के समय खुद डूंगरपुर महाराजा वहां की फोरेस्ट प्रोडयूस का व्यापार करते थे और वहां के जो किसान और नागरिक थे उन्हें कोई खास सुविधा नहीं थी, इस वजह से उस समय विशेष आमदनी नहीं होती थी।

श्री देवीसिंह:-मैं आमदनी की संख्या नहीं जानना चाहता हूं।

श्री अमृतलाल यादव:-इसी सिलसिले में कह रहा हूं कि उस आमदनी में फरक पड़ सकता था, लेकिन उस समय जनता और किसानों को खास सुविधा नहीं थी।

एक माननीय सदस्य:-We want figures directly.

श्री अध्यक्ष:-They want figures direct.

श्री अमृतलाल यादव:-जहां तक आंकड़ों का ताल्लुक है मुझे खेद है कि अब तक आंकड़े प्राप्त नहीं हो सके हैं।

(शेम-शेम)

श्री अध्यक्ष:-The sum and substance of his reply is that the figures are being gathered and they will be placed before the House as soon as it is received.

श्री देवीसिंह:-इस वक्त जनता और किसानों को कौन कौनसी सुविधायें दी गई हैं ?

श्री हरिकृष्ण व्यास:-जब आंकड़े मांगे गये थे और वे आपके पास नहीं थे तब फिर उत्तर देने का प्रयत्न ही क्यों किया गया ?

श्री कानसिंह:-सरकार को यह बात कहने में क्यों शर्म आ रही थी ?

श्री देवीसिंह:-ऐसी कौन कौनसी, सुविधायें हैं जो अब दी गई हैं और पहले नहीं थीं ?

श्री अध्यक्ष:—This does not relate to the main question.

श्री हरिकृष्ण व्यास:–जिन प्रश्नों के उत्तर नहीं आये हैं उन पर फैसला फरमा दें तो बेहतर हो।

श्री अध्यक्ष –मैं यह बतलादूं कि माननीय सदस्य रूल्स ओफ बिजनेस की धारा ३६ को पढ़ें तो इस प्रकार के प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण पर वाद--विवाद

अब राजप्रमुख के अभिभाषण पर वाद–विवाद प्रारम्भ होगा। कल श्री संपतराम का भाषण अपूर्ण था वे उसे पूर्ण करेंगे।

श्री संपतराम:–अध्यक्ष महोदय, राजप्रमुख के अभिभाषण पर मैं अपने विचार प्रदर्शित कर रहा था। कल भी इस सदन में सरकार की नीति के बारे में अपने विचार रखे थे और जो इस विषय में वाद–विवाद चला उसके संबन्ध में मुझे खेद है कि जिस प्रकार का वाद–विवाद जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों को करना चाहिए था उस स्तर पर वह वाद--विवाद नहीं हुआ। इसके उदाहरण कल मैंने पेश किये थे। श्रीमन राजप्रमुख के अभिभाषण में वास्तव में जिन बातों का समुचित रूप से उल्लेख होना चाहिये था वे सारी बातें आ जाती हैं, जो, सरकार इस समय या आने वाले समय में, करना चाहती है। मैं उनके द्वारा दिये गये अभिभाषण के पांचवें पेज के पेराग्राफ ४ में जो बात कही गई है उसका उल्लेख करता हूं:—"The Government intended to introduce a Bill for the removal of social disabilities of Harijans but have dropped the measure on receipt of advice from the Government of India that they propose to enact all-India legislation on the subject."

श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण पर विरोधी दल के नेताओं ने अपने विचार रखे और श्री गोपीलाल यादव ने एमेन्डमेन्ट मूव किया था। मैं नहीं सोच पाया कि वह कहां तक ठीक था और कहां तक नहीं। लेकिन अफशोस की बात यह है कि राजप्रमुख महोदय ने समाज के पीडित माने जाने वाले अंग, जिनकी प्रगति के लिये देश के सारे सद्बुद्धि से सोचने वाले लोग चिन्तित हैं, के बारे म जो प्रकाश डाला उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। उन्हें यह कहने की तो फुरसत मिल गई कि कांग्रेस यह करती है, वह करती है, लेकिन जिनके बारे में कहना चाहिये था उनके बारे में कुछ नहीं कहा गया।

यदि गोपीलालजी का एमेन्डमेन्ट यह होता कि राजस्थान सरकार जिस तरह से प्रान्त में रहने वाली सवर्ण जातियों की उन्नति के लिये जो कुछ कर रही है उसी तरह राजस्थान के हरिजन कहलाने वाली जातियों की उन्नति के लिये भी प्रयत्न करे जिनकी जिम्मेवारी उन्हीं पर आती है, तो यह एमेन्डमेन्ट ज्यादा हित कर होता ।

यह चीज मैं भी मानता हूं कि रिक्रियेशन होना चाहिए । Opposition पक्ष के सदस्यों ने दशहरे का जिक्र किया पर जितना वाद-विवाद हुआ वह destructive है। इस तरफ कोई इशारा नहीं किया गया है कि सरकार को इन इन तरीकों से उन्नति और सुधार करना चाहिए। इसके विपरीत कहा यह गया है कि "नीच" जातियों को इस इस तरह बढावा दिया गया ।

मैं इन शब्दों के साथ मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार उसने आदिवासियों के लिए इतनी बड़ी रकम हासिल करने में कोशिश की है उसी तरह आगे भी कोशिश करती रहे ।

श्रीमन् राजप्रमुख ने अपने भाषण के पैरा नं० ६ में हरिजनों और आदिवासियों के लिए जिक्र किया है। एक सवाल जो वैधानिक है उसके बारे में न तो श्रीमन् राजप्रमुख ने जिक्र किया है और न ही किसी सदस्य ने जिक्र किया है। वह सवाल यह है कि सरकार ने घोषणा की है कि सरकारी नौकरियों में १२ १/२ परसेंट Backward classes को Reservation दिया जायगा परन्तु श्रीमन् राजप्रमुख ने इसका अपने भाषण में कोई जिक्र नहीं किया है। सरकार को चाहिए कि Backward classes के जितने Educated आदमी हैं उनको किसी भी तरीके से चाहे Competition के जरिये अथवा और किसी जरिये से Employment दे। मैं आशा करता हूं कि श्रीमन् राजप्रमुख आयन्दा भाषण में इसका जिक्र करेंगे। R. A. S. के Competition जिस तरीके से होते हैं हमें मालूम हैं। आज Backward classes में १०-१२ Graduates हैं; उनको इन सर्विसेज में लिया जाय। इस सम्बन्ध में सरकार की मंशा में कोई शक नहीं है। वह इस दिशा में सजगता से सोच रही है। भारत सरकार के सामने यहां की सरकार ने यह रखा है कि हम एक प्रगतिशील कार्यक्रम सामने ला रहे हैं और आयन्दा १० वर्षों में, हमने जो विधान में वादा किया है वह पूरा किया जायगा। मैं आप सबसे यह निवेदन करूंगा कि हम सब मिलकर इस दिशा में कार्य करें और आगामी १० वर्षों में जितना भी हो सके इस हिन्दू जाति के कोढ को मिटाने की कोशिश करेंगे।

विरोधी दल के कुछ वक्ताओं ने चुनाव के बारे में कुछ जिक्र किया था, शायद उन्होंने कही सुनी बातें की हैं पर मैं आंखों देखी बातें सुनाऊंगा। सोचने समझने में हर एक का मस्तिष्क अलग अलग होता है। पार्लियामेन्ट में इलेक्शन्स के सम्बन्ध में बहस के दौरान में यह कहा गया कि Elections हमारे India में Fair नहीं हुए। पर विरोधी दल की तरफ

से स्वयं डा० श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने कहा कि जितने शानदार और शान्तिमय तरीकों से हिन्दुस्तान के इलेक्शन्स होने चाहिए थे उतनी ही शान से हुए। दुनिया का कोई आदमी यह उम्मीद नहीं करता था कि इस शान और शान्ति के साथ इलेक्शन्स खत्म होंगे।

(Interruption by bell)

How many minutes more, Sir ?

श्री अध्यक्ष:–Your time is over. Ten minutes are over.

श्री सम्पतराम:–I want some more time. Five minutes more.

श्री अध्यक्ष:–Two minutes more.

श्री सम्पतराम:–तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि इलेक्शन्स के सिलसिले में मैं एक आंखों देखी घटना सुनाऊंगा। जिनको शूद्र और नीच जाति के लोग कहा जाता है उन पर राजाओं, महाराजाओं और जागीरदारों की ओर से जुल्म किये गये। मेरे गांव के पास की बात है कि एक किसान का २०० बीघा अरहर का खेत खड़ा था। राम–राज्य की दुहाई देने वालों ने राम–राज्य के नाम के साथ २ उसे बर्बाद कर दिया। सरकार ने जो कुछ किया है वह भारतीय संसद में डा० श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने माना है कि हमारे इलेक्शन्स बड़ी शान और शान्ति के साथ हुए। हरिजनों से जो वोट लेना चाहें वह उनकी सेवा करें। जो सेवा करेंगे, चाहे वे कांग्रेसी हों, चाहे राम–राज्य के हों या अन्य किसी पार्टी के हों उनको वोट मिलेंगे। श्री मोदी ने कहा कि यह सेवा है। मैं भी कहता हूं कि यदि सेवा होती तो उधर Opposition group में भी Reserve सीटों के केन्डीडेट्स मिलते। याद रखना चाहिए कि धर्म, शास्त्र और इतिहास कहते हैं, महात्मा गांधी और दूसरे सभी बड़े बड़े आदमी कह गये हैं कि जिस किसी देश या समाज ने दूसरे देश या समाज पर अत्याचार किया है तो वह समाज नष्ट हो गया है या प्रकृति का ऐसा झोंका आया है कि उस समाज को नीचा गिरना पड़ा है और दबा हुआ समाज ऊपर आया है।

श्री खेतसिंह:–मेरे पूर्व वक्ता राजप्रमुख साहब को धन्यवाद देना चाहते हैं और हाउस के नेता भी जिस तरह से हो धन्यवाद दिलवाना चाहते हैं, किन्तु मेरे ख्याल से धन्यवाद किसे दिया जाय। धन्यवाद का पात्र वही होता है जो सराहनीय काम करे। मिसाल के तौर पर मैं कहूं कि मैं यहां से उठ कर कांग्रेस की जगह पर जा बैठूं तो उन लोगों को हर्ष होगा और मुझे धन्यवाद देंगे। ठीक उसी प्रकार यदि उनमें से दो आदमी इधर बैठ जायं तो हमारे नेता उनको धन्यवाद दे सकते हैं। मतलब यह कि धन्यवाद तो उसे दिया जाता है जो अच्छा काम करे। इसी प्रकार राजस्थान गवर्नमेन्ट की पोलिसी जो श्रीमन् राजप्रमुख ने हमारे सामने रखी है और जो छः मास का गत व्यौरा

हमारे सामने रखा है, यह व्यौरा धन्यवाद के काबिल है या नहीं, हम आज यह देखना है। मैं मानता हूं कि पुलिस का कार्य जैसा होना चाहिए था, वैसा हुआ है, वह सराहनीय रहा है। कुख्यात पाबूदान, खानुड़ा, भूरदान जैसे डाकू मार डाले गये और उनके मारने में कुछ नुकसान भी न उठाना पड़ा यह और भी सराहनीय है। यह बात नहीं कि सदन में भाषण दिया और काम हो गया। जान को हथेली पर रख कर काम करना पड़ता है। पुलिस दल ने ऐसा किया और जो भयभीत इलाके थे उनको सुरक्षित बनाया। लेकिन इसके साथ साथ अन्य कई ऐसी बातें हैं जिन्हे देख कर नतीजा निकालना है और फिर सोचना है कि भाषण पर धन्यवाद दिया जा सकता है अथवा नहीं।

सबसे पहले मैं खाद्य–समस्या यानि पेट की समस्या को लेता हूं। खाद्य-समस्या के लिए गत बार भी मैंने अपनी कोन्स्टीटुएन्सी के लिए, चाहे आप मुझे मेरे नाम से न जाने किन्तु शेरगढ के नाम से तो आप सब परिचित ही हैं, निवेदन किया था। मैंने इस सम्बन्ध में कई दरख्वास्तें कीं किन्तु खाद्य-समस्या के मुतल्लिक कुछ भी नहीं किया गया। जो खाद्य हम पहले खाते थे, जिसको हमारे खाद्य मंत्री अमेरिकन मिलो कहते हैं, वही अब भी खा रहे हैं और उसे खाते हुए, उस सड़े अनाज को खाते हुए हमारे एरिया के लोग, जो एरिया रिक्रूटिंग एरिया के नाम से मशहूर है, उसमें (रिक्रूटिंग में) लोग भर्ती होने काबिल नहीं रहे हैं। हमें आज तीन साल से वह मिलो मिल रहा है। कम से कम हमें त्योहारों पर तो गेहूं प्रयोग के लिए दिया होता। आप ही बतायें कि ऐसी हालत में मैं किस बात पर श्रीमन् राजप्रमुख को धन्यवाद देने की कोशिश करूं ?

जल-पीडा के लिए मैंने गत बार कहा और उसके लिए मैं माननीय मंत्री, श्री सुखाड़ियाजी साहब, को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ग्रीष्म में उस थार का दौरा किया। उन्होंने वहां की वास्तविक स्थिति और हकीकत देखी और ३० हजार रुपयों की मंजूरी दी। इसमें कोई शक नहीं कि इससे पन्द्राह गांवों में बहुत बड़ी सुविधा हो जाती। आप तो मंजूरी देकर चले गये। जयपुर जाकर रकम भी भिजवादी और रकम तहसील में भी पहुंच गई। तहसीलदार और मेरे बीच कुछ बातों पर खट-पट हो गई और वह रकम पूरी तरह से नहीं मिली। कुछ गांवों को तो मिली और जिनमें काम भी किया गया। बाकी रकम वापिस आ गई। यदि यह पूरी रकम खर्च करदी जाती तो कुछ सान्त्वना मिलती। रकम वापिस आ गई, अतः जो जल-पीड़ा पहले थी वह अब भी है। पिछली दफा भी मैंने कहा था कि २२–२५ माइल से पानी लाना पड़ता है और यही स्थिति अब भी है। इस बात पर कई सदस्यों ने आश्चर्य भी जाहिर किया था। स्थिति अब भी वैसी ही है।

तकावी का हाल भी देखिये। वह अकाल का इलाका है। इस सम्बन्ध में काफी दरख्वास्तें दी गई तो पांच हजार रुपया अधिक दिया गया। किन्तु वह रकम तकसीम नहीं की गई। जिस प्रकार पानी के लिए रकम भेजी गई थी और जो वापिस भेज दी गई उसी प्रकार यह रकम भी तकसीम नहीं की गई

और वापिस भेज दी गई। अब आप ही सोचिये कि उन काश्तकारों को क्या इमदाद मिली? ऐसी हालत में किस बूते पर हम राजप्रमुख के भाषण पर धन्यवाद देने में शरीक हों।

अब आप कोओपरेटिव सोसाइटीज और पंचायत के लिए सुनिए। हमने यह सुना कि हम रिएक्शनरीज आपके लिए पहले हैं। आपका ऐसा ख्याल है कि स्वयं आप ही ऐसे सेवक हैं जो जनता को राहत पहुंचाते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हमने भी काम करने की कोशिश की और उन्हीं कामों को जिनको कि आप करते हैं और सेवाभावी कहलाते हैं मैंने शेरगढ में कोओपरेटिव सोसाइटीज की स्थापना करने की कोशिश की। सारे इलाके में केवल एक कोओपरेटिव सोसाइटी थी और वह भी नहीं के बराबर। जब मैंने इसके सम्बन्धित सरकारी इन्चार्ज से बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि सरकार का यह ऑर्डर है कि नई कोओपरेटिव सोसाइटीज चालू ही नहीं की जाय। मैंने उनसे कहा कि तो क्या अब नई चालू करने का सवाल ही नहीं है? उत्तर में उन्होंने कहा "हां"; अतः श्रीमन् राजप्रमुख कैसे धन्यवाद के पात्र कहा सकते हैं?

स्कूल और अस्पतालों के बारे में संतोषजनक बातें बताई गई और कहा गया कि प्रगति हुई है और हो रही है। उसके मुत्तल्लिक मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं कि, मिनिस्टर साहब यहां नहीं है फिर भी यह बात उनके कानों तक तो पहुंच ही जायगी। १ लाख २० हजार की पापुलेशन में वहां केवल एक मिडिल स्कूल है। हमने देखा कि कुछ स्कूल और खोल दिये जायं; केवल ४ या ५ हों। मैंने इस सम्बन्ध में इन्स्पेक्टर ओफ स्कूल्स से बात की तो उन्होंने कहा कि नये स्कूल्स नहीं खोल सकते हैं। इस पर मिडिल स्कूल के लिए चन्दे से इमारत बनाई गई। इमारत को देखते हुए कहा जा सकता है कि यह इमारत हाई स्कूल के काबिल है। यदि वहां हाई स्कूल बना दिया जाय तो भी ठीक है। राजस्थान में कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि १ लाख २० हजार की जन-संख्या पर एक भी हाई स्कूल न हो। मैंने इस सम्बन्ध में माननीय मंत्रीजी से बात भी की थी और उनका रूखा सा रुख देखा। तो फिर बताइये इस सम्बन्ध में भी कैसे धन्यवाद दिया जा सकता है।

अस्पतालों की भी हालत यही है। शेरगढ की डिस्पेन्सरी में टिन्चर आयोडीन के सिवाय कुछ भी नहीं मिलता। अस्पतालों में कोई भी वृद्धि नहीं हुई।

अब आप पिछड़ी जातियों के विषय में देखिये इस सम्बन्ध में मेरे पहले के वक्ता बड़े जोश से बोल रहे थे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि शेरगढ में भी पिछड़ी जातियां बसती हैं। उनके लिए कोई खास सुविधा नहीं दी गई। माननीय मंत्रीजी का उधर कभी दौरा ही नहीं हुआ। उदयपुर के होने के नाते वे उधर की ही अधिक सोचते हों और उनका ख्याल हो कि उधर कोई पिछड़ी जातियां रहती ही नहीं है। मैंने उन्हें कहा भी था कि वे कभी उधर दौरा करें और वहां की स्थिति को देखें। लेकिन शायद वे यह सोचते हैं कि कहीं सब ही केपीटलिस्ट न हो जायं। यदि वहां पर सूत की

पेटियां ही उन जुलाहों को दे दी जायं तो वे अपना पेट पालन कर सकते हैं। यदि उन्हें सूत की पेटियां कंट्रोल रेट पर दे दी जायं तो फिर लूकड़ एन्ड कम्पनी क्या करेगी? उनकी सूत की पेटियां कन्ट्रोल से नहीं बल्कि ब्लैक से बिकती हैं।

करप्शन का हाल भी देखिये। आश्चर्य है कि अदालतों में भी करप्शन! मैं तो मामूली अदालतों में जाता हूं क्योंकि मैं भाई मोदी जैसा वकील नहीं, लेकिन मेरा अनुभव है कि स्थान स्थान पर रुपया दिया जाय तो बात होती है; वरना बात नहीं की जाती। इस करप्शन की कोई हद भी होगी या नहीं? सरकार को इसे जरूर रोकना चाहिए। दो चार आदमियों से कहीं कोई करप्शन रोका जा सकता है? गैर सरकारी आदमियों का भी इसमें सहयोग लेना चाहिये एक पुलिस का इन्सपेक्टर और दो चार कान्स्टेबल जाय और करप्शन रुक जाय; यह मैं नहीं मान सकता। वहां के लोकल आदमियों को रखना चाहिये, उनके साथ, ताकि वे उनको मदद दे सकें, वरना होगा यह कि बात करने पर भी पैसा देना पड़ेगा।

इन बातों को देखते हुए मैं सहमत नहीं हूं कि राजप्रमुख के भाषण पर धन्यवाद दिया जाय।

श्री रूपनारायण शास्त्री:—माननीय अध्यक्ष महोदय, आज का विषय राजप्रमुख को धन्यवाद देने का है। यह सर्व विदित है यह चर्चा गत दो दिनों से इस हाउस में चल रही है। इसी सम्बन्ध में मैं भी अपने कुछ विचार व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस सम्बन्ध में काफी विचार प्रकट किये जा चुके हैं फिर भी मैं भी कुछ अधिक बातें कहना चाहता हूं और कहना आवश्यक समझता हूं। यह ठीक है कि राजप्रमुख का भाषण सुन्दर है, लालित्यपूर्ण है किन्तु केवल इसीलिये धन्यवाद तो नहीं दिया जा सकता। मैं यह मानता हूं कि श्रीमन् राजप्रमुख का भाषण पान्डित्य पूर्ण है, भाषण में कौशल है और उसकी भाषा रूचिकर और आकर्षक है। इतना होने पर भी इसीलिये भाषण पर मैं कभी भी धन्यवाद देने को प्रस्तुत नहीं हूंगा। इसका स्पष्ट कारण है तथ्यों की कमी। उनका भाषण आरम्भ होता है कानून और व्यवस्था के शब्द से। ये दो शब्द बड़े सुन्दर और आकर्षक हैं। जब तक संसार में शान्ति और व्यवस्था नहीं होती है तब तक कोई राष्ट्र उन्नति कर सकता है? राष्ट्र की उन्नति के लिए शान्ति और व्यवस्था का होना परमावश्यक है। राष्ट्र की शान्ति और सुरक्षा ठीक नहीं होती तो राष्ट्र दरिद्र बन जाता है। क्योंकि जैसे संस्कृत में एक कहावत है :—

"वर्द्धमानात् रक्षणं श्रेयस्तदभावे संदप्यसेत्"

अर्थात् किसी चीज को बढाने की अपेक्षा उसकी रक्षा करना बहुत आवश्यक है, यदि रक्षा न होगी तो बढाई हुई चीज न होने के बराबर हो जायगी। कानून और व्यवस्था सुन्दर चीज है।"व्यवस्था" के साथ "कानून" शब्द के जुड़ जाने

से सौम्य और सोने में सुगन्ध का काम करता है क्योंकि संसार में वही व्यवस्था सुचारू रूप से व सुन्दर कही जा सकती है जो व्यवस्था सुन्दर कानूनों से जटित हो। यह ठीक है, किन्तु वर्तमान स्थिति में हम देखते क्या हैं कि जिस पर रक्षा का भार है वही आज भक्षक होता जा रहा है। मैं आपके सामने उदयपुर वाटी का एक उदाहरण रखूंगा। उदयपुर वाटी में यह हुआ कि पुलिस को रक्षा के लिये भेजा गया। रक्षा के नाम पर पुलिस ने वहां जो जो जुल्म किये वे मैं आपके सामने रखूंगा। पुलिस प्रजा की सेवक है। प्रजा में उपद्रव हो आतंक हो तो पुलिस को उसे रोकना चाहिये। पुलिस के लिए यह जरूरी हो जाता है कि वह आतंक को फैलने से रोके लेकिन यदि इसके विपरीत आचरण होने लग जाय तो वही चीज जो संसार के लिए कल्याणकारिणी होते हुए भी भयावह और घातक हो जाती है। उदयपुरवाटी में हुआ यह कि वहां दो कांग्रेस नेता किसी कारणवश मारे गये थे। उनको किसने मारा, किसलिये मारा, मारने वाला कौन था; इस संबन्ध में सरकारी रिपोर्ट तो नहीं है जिससे स्पष्ट साबित हो सके। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं किसने मारा; इस विषय का यथेष्ट ज्ञान नहीं है। जनहित के खिलाफ उन्होंने क्या कार्य किया था या मारने वाले के खिलाफ उन्होंने क्या कार्य किया था; उनका आपस में क्या वैमनस्य था—यह मुझे जानने की भी जरूरत नहीं क्योंकि यह सब अदालत द्वारा स्पष्ट हो जायगा। हमारी सरकार ने वहां एक पुलिस टुकड़ी भेजी। वह पुलिस यह कहकर रखी गई कि इनका खर्चा उदयपुर के लोगों से टेक्स वसूल करके पूरा किया जायगा। मैं पूछता हूं कि क्या यह जनता की मांग थी कि उनके लिए वहां पुलिस भेजी जाय। मैं तो यह कहूंगा कि किसी ने इस प्रकार की मांग नहीं की। वहां के लोग पुलिस से तंग हैं। वहां पुलिस ने आतंक फैलाने के अतिरिक्त और कुछ काम नहीं किया। उन्होंने इस संबन्ध में जितने भी व्यक्ति पकड़े हैं उनमें एक जाति विशेष के लोगों के सिवाय दूसरे व्यक्ति कोई नहीं हैं। जो पकड़े गये हैं वे सब राजपूत ही हैं। क्या आपके पास इस बात के स्पष्ट प्रमाण हैं कि इस कांड के दोषी राजपूत ही थे और बाकी की जातियों के लोग निर्दोष ही थे? इसी प्रकार कल जब डाकुओं की लिस्ट सुनाई गई तो उसमें जिन व्यक्तियों के आगे सिंह लगता था उनके नाम सुनाकर बाकी के आगे आदि शब्द लगाकर खत्म कर दिया गया। क्या इससे यह स्पष्ट नहीं है कि एक जाति विशेष को बदनाम करने के अलावा और कुछ नहीं किया जा रहा है? एक जाति या एक वर्ग को उनके अधिकारों से वंचित रखना क्या पक्षपात पूर्ण तरीका नहीं है। प्रजातंत्र में पक्षपातपूर्ण सरकार सर्वथा असह्य चीज है। हो सकता है कि वह सरकार अपने बाहुबल तथा बहुमत बल से कुछ दिनों तक कायम रह सके; ज्यादा दिनों तक कभी कायम नहीं रह सकती। जिस सरकार में न्याय का शासन होगा जिसमें नैतिकता होगी वही गवर्नमेन्ट स्थायी रह सकेगी। न्याय एक ऐसी वस्तु है कि मनुष्य चाहे जितना ही दंड का भागी हो यदि वह न्याय करके दिया जाता है तो उसे वह फल भोगना पड़ता है। वह यह सोच लेता है कि मैंने जैसा किया वैसा फल भोगना पड़ा। लेकिन जब अन्याय के साथ कुछ किया जाता है तो प्रतिशोध और द्वेष की भावना बढ़ती है। उदयपुर वाटी में जो कुछ हुआ वह यह हुआ कि वहां के लोगों ने चुनाव में कांग्रेस को वोट न देकर राम–राज्य

को वोट दिये ; इसलिये वहां के लोगों के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार किया गया। यह बात वास्तविक नहीं होती तो धांदेला गांव, जो निजामत तोरावाटी में है वहां भी दो राजपूत मारे गये थे। उसे भी अशान्त क्षेत्र घोषित करना चाहिये था। किन्तु उसे अशान्त क्षेत्र घोषित नहीं किया गया क्योंकि वहां मरने वाले कांग्रेसी नहीं थे। क्योंकि कांग्रेस पार्टी और सरकार को यह डर था कि यहां जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव होने वाले हैं उनमें कांग्रेस को वोट नहीं मिलेंगे। पार्टी के आदमियों की यह भावना हो सकती है लेकिन भावना के प्रवाह में कर्तव्य को भूल जाना राज्य के लिये कभी न्याय संगत नहीं कहा जा सकता। भावना से कर्तव्य को हमेशा ऊपर समझना चाहिये। ऐसा होने पर ही सरकार अपने कार्य में सफल हो सकती है। मैं जब उदयपुरवाटी में गया तो मैंने वहां क्या देखा कि वहां जो अच्छी अच्छी धर्मशालायें हैं, जो कलकत्ता, बंबई आदि के सेठों ने बड़ी मुश्किल से बनाई हैं; इसलिये बनायी कि इसका उपयोग जनता के आराम के लिये किया जाय, जनता इसका सदुपयोग करे, आगन्तुक वहां आकर ठहरें; लेकिन होता क्या है कि तीनों धर्मशालायें आज पुलिस ने अपने अधिकार में कर रखी हैं। वह ऐसा स्थान है जहां से चार पांच जगह मोटरें जाती हैं; वहां आवागमन काफी मात्रा में होता है। लेकिन आज वहां कोई भी व्यक्ति ठहरना पसन्द नहीं करते हैं क्योंकि पुलिस जैसी जनता की सेवक है वह तो आपको मालूम है ही। सबसे पहली मेरी मांग यह है कि ये तीनों धर्मशालायें जो पुलिस कर्मचारियों के अधिकार में हैं खाली करवा दी जावें। यदि आपको पुलिस को वहां रखना है तो उनके लिये तम्बू लगाइये या किसी अन्य प्रकार का प्रबन्ध करिये। यदि वहां धर्मशालायें नहीं होती तो आपको कुछ न कुछ प्रबन्ध अवश्य करना पड़ता। आप पुलिस को रख कर वहां आतंक फैलाना चाहते हैं तो फैलाइये; जनता इसको भी बर्दाश्त करेगी, किन्तु आप उन धर्मशालाओं को तो अवश्य खाली करा दीजिये। सार्वजनिक मंदिरों में, सार्वजनिक मकानों पर, पुलिस को अधिकार करने का कोई हक नहीं है। यह अनाधिकार चेष्टा है जो पुलिस ने की है; सहन नहीं की जा सकती। इसलिये मेरी यह पहली मांग है कि पुलिस से उन धर्मशालाओं को शीघ्र खाली करवा दिया जाय और जिन २ लोगों ने वहां कब्जा कर रखा है उनको तुरन्त वहां से हटा दिया जाय।

दूसरी बात यह है, कि वहां पुलिस है, वह रक्षा के लिये; न कि आतंक फैलाने के लिए। वहां का एक किस्सा है कि एक वनिये का लड़का, जिसकी मृत्यु हो चुकी है, हरिकीर्तन कर रहा था। थानेदार ने उसको इतना पीटा कि उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के समय जो बयान उसने दिये थे उससे स्पष्ट है कि उसकी मृत्यु पिटाई के कारण हुई। वह केस झुनझुनू निजामत में चल रहा है; उसका फैसला हो जायगा, तब स्थिति की असलियत का पता चल जायगा; तब मैं और अर्ज करूंगा। मृत्यु के समय जो उसने बयान दिये हैं उनसे स्पष्ट है कि पुलिस की मारपीट के कारण ही उसकी मृत्यु हुई है।

दीपपुरा गांव में यह हुआ कि उस तमाम गांव को लूटा गया। यहां तक वहां के लोगों के साथ वर्ताव किया गया कि उनके गूदड़े (सोने बिछाने के कपड़े) भी लूट लिये गये।

पुलिस वालों ने वहां पर उन लोगों के गूदड़े और ठीकरे भी नहीं छोड़े। अगर मैं आपको गलत कहता हूं तो आप मेरे साथ चलिये; मैं आपको यह बात बतला सकता हूं। जिस समय मैं गया तो उन लोगों ने मुझे कहा कि आपका हम लोग क्या स्वागत करें ? पुलिस वाले हमारा तो सब सामान लूट कर ले गये। बिछाने तक को नहीं छोड़ा। मैंने उनसे कहा कि जिस दशा में तुम हों उससे भी ज्यादा दशा में मैं रहना चाहता हूं। मैं तुम्हारे कष्ट की कहानी सुनने के लिये आया हूं; न कि तुमको और ज्यादा दुख: देने के लिये। दीपपुरा में जिन जिन गांव वालों को पुलिस ने लूटा, जिन जिन घरों पर छापा मारा, उनका कौन कौनसा सामान ले गये, ये सब बातें ऐसी हैं जो आतंक फैलाने वाली हैं। किसी आदमी को मार देना और किसी के घरों को लूट लेना यह कहां का न्याय है ? मेरे पास इसके प्रमाण मौजूद नहीं हैं जो वहां कि जनता ने मुझसे कहे हैं। अस्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि सरकार को वहां पुलिस रखनी ही है तो उसे रक्षक के रूप में रखे, न कि आतंक फैलाने के लिये। पुलिस के कर्मचारियों को सार्वजनिक मकानों और मंदिरों पर कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है।

इतना ही नहीं वहां के कतिपय कांग्रेसी नेता जाकर किसानों को बहकाते हैं कि तुम्हारी ही सरकार है, तुम क्यों जागीरदार को हासिल देते हो। इसका परिणाम यह होता है कि काश्तकार हासिल नहीं देते इसलिये वहां की विधवाएं और बच्चे भूखों मर रहे हैं।

श्री मोतीलाल:--हासिल गवर्नमेन्ट को नहीं देने से विधवाओं और बच्चों पर क्या असर पड़ता है ? इसका असर तो गवर्नमेन्ट पर पड़ना चाहिये।

श्री रूपनारायण शास्त्री:--यह हासिल जागीरदारों को देने का सवाल है। जब आप समझ ही नहीं सकते तो आपको बीच में नहीं बोलना चाहिये।

जागीरदारों की विधवाओं व उनके बच्चों को, जिनकी जमीनें होती हैं, हासिल न देने से या न मिलने से, भूखों मरना पड़ता है। जब हासिल नहीं देते तो उनको दाना भी नहीं मिल सकता। गवर्नमेन्ट भी लोगों को परवरिश देती है और हासिल वसूल करती है, तो फिर इन गरीब राजपूतनियों ने क्या अन्याय किया है कि उनको हासिल न दिया जाए। उनकी भी जमीनों का हासल सरकार ले और उनको खाने को दे।

सरकार दूसरों को तकावी भी देती है। मगर तकावी उन्हीं लोगों को मिला करती है जो कांग्रेस की सफेद टोपी का ताज धारण किये हुए होते हैं। हमारे वहां पर चिरंजीलाल व बंसीधर के अलावा किसी किसान को तकावी नहीं मिली। मैं किसी का विरोध करना नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि हमारी सरकार एक अच्छी सरकार बने; चाहे वह किसी भी पार्टी की सरकार हो। पार्टी से सरकार को कोई सम्बन्ध नहीं होता। सरकार का काम जनता की भलाई और गरीबों व अनाथों की रक्षा करना है। इसमें अनाथ और विधवाएं भी शामिल

है। अतः मैं यह कहूंगा कि उन विधवाओं की आजीविका की व्यवस्था करें। स्वतन्त्र राष्ट्र का मतलब यह है कि उसमें कोई भूखा न रहे। अतः मैं यह प्रार्थना करूंगा कि इन विधवाओं के लिये व उनके बच्चों के लिये प्रबन्ध होना जरूरी है।

जिस प्रकार कांग्रेस-जन बेगार का विरोध करते थे, मैं भी यह कहूंगा कि बेगार प्रथा नहीं होनी चाहिये। मानव, मानव का दास नहीं होना चाहिये। यह सब सरकार की तरफ से होते हुए भी पुलिस के कर्मचारी गांवों में मटके (earthen pots) ले लेते हैं, लोगों से पलंग बनवा लेते हैं, ऊंटों को उनके खेतों में चरने के लिये छोड़ देते हैं। वे इस तरह का जुल्म करते हैं। मैं तो यह कहूंगा कि यदि आपको वहां पर पुलिस की आवश्यकता हो तो रखिये, वरना रखने की कोई जरूरत नहीं। मुझे तो वहां की परिस्थिति ऐसी नहीं दिखाई देती जिससे कि पुलिस को वहां पर रखने की जरूरत नजर आती हो। केवल जनता में आतंक फैलाने के लिये ही पुलिस को वहां रखा जाता है तो दूसरी बात है। मगर मैं जानता हूं कि मेरा यह कहना बिल्कुल भूल है क्योंकि जब तक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चुनाव नहीं हो जाएगा तब तक चाहे कोई भी कहे, चाहे उसकी जरूरत न भी हो; फिर भी सरकार पुलिस को वहां से नहीं हटाएगी। इसलिये इस पर चर्चा करना मेरी मूर्खता होगी। आतंक के साथ वोट लिये जावेंगे। आप कुछ भी करें मगर मैं यह आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जनता के जो मकानात हैं वहां से तो पुलिस हटा दी जाय। आगे मिगसर (Ninth Hindi month) का महिना आने वाला है, ठंड पड़ेगी और लोगों को बहुत तकलीफ रहेगी। सरकार के पास छोलदारियें हैं। पुलिस उन छोलदारियों में रह सकती है। अतः इसका प्रबन्ध किया जाए।

(श्री अध्यक्ष ने समय समाप्ति की सूचना दी)

श्री जयनारायण व्यासः—अध्यक्ष महोदय, राजप्रमुख साहब के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया है मैं उसका समर्थन करता हूं। इस प्रस्ताव के विरोध में हमारे विरोधी दल के नेता, उप-नेता और अन्य अनेक माननीय सज्जनों ने बहुत से भाषण दिये हैं और मैंने उन भाषणों को अथवा उनमें से महत्वपूर्ण भाषणों को और उनके अंशों को काफी अच्छी तरह से, ध्यान पूर्वक सुना है। इसलिये मुझे प्रेरणा हुई कि मैं भी दो शब्द, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से, इन भाषणों के सम्बन्ध में कहूं।

मुझे इस बात का थोड़ा सा अफशोस हुआ कि हमारे भाषणों के अन्दर इस सदन की जो स्थिति है, जो स्तर है उस स्थिति और स्तर का ध्यान कम रखा गया है। मैं किसी व्यक्ति विशेष पर आक्षेप नहीं करता लेकिन इतना अवश्य निवेदन करूंगा कि हमें इस सदन के अन्दर जब रहना है, चाहे सरकारी पक्ष के बन कर रहना है अथवा विरोधी पक्ष के बन कर रहना है अथवा स्वतन्त्र बन कर रहना है और अन्त में इस सदन के जरिये से हमको शासन चलाना है। अगर हम सदन के अन्दर साधारण तौर पर जो नियम हैं, शिष्टाचार

है, तरीका है उसको नहीं अपनायेंगे और स्वस्थ परम्पराएं कायम नहीं करेंगे तो अध्यक्ष महोदय, मुझे अफशोस के साथ कहना पड़ेगा कि संभव है हम सदन का पतन कर अपना पतन करेंगे, राजस्थान का पतन करेंगे और राजस्थान की जनता का पतन करेंगे। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम अपने स्तर को थोड़ा सा ऊपर उठावें और जिन बातों को मस्तिष्क से सोचते हैं उन्हें हृदय से भी सोचें। मुझे उन व्यक्तियों से कुछ नहीं कहना है जिन्होंने प्रसंग के अतिरिक्त बातें कहीं। उन्होंने अपने दिल का गुब्बारा निकाल लिया। किसी व्यक्ति के बारे में भी, जो सदन में नहीं है दिल की निकाल ली और यह अध्यक्ष महोदय आपकी उदारता है कि आपने उन बातों को सुन लिया और हम लोगों ने जान बूझकर उनको रोकने का आदेश देने के लिये आपसे प्रार्थना नहीं की। परन्तु एक बात जो मुझे चुभती रही उसको मैं अर्ज करना चाहता हूं और वह यह बात है कि भाषणों में कहा गया कि कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी की यह सरकार और सरकारी कर्मचारी और सारी दुनिया एक तरह से राजपूत जाति का विरोध और सत्यानाश करने के लिये लगी हुई है: इस तरह की भावना प्रकट की गई।

मैं बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि राजपूत जाति के साथ यदि किसी तरह की ज्यादती हो या किसी तरह का नुकसान राजपूत जाति को पहुंचाने की कोशिश की जायगी या कोई उसे पतन की तरफ ले जाने का प्रयत्न करेगा तो मैं पहला आदमी होऊंगा जो इसे रोकने की कोशिश करूंगा।

श्री जसवन्तसिंह:—At least one friend we have won.

श्री जयनारायण व्यास:— मेरे साथी जसवन्तसिंहजी की बात मैं सधन्य स्वीकार करता हूं और उनकी दोस्ती की कदर करता हूं। लेकिन मुझे जसवन्तसिंहजी से दो शब्द कहने की आवश्यकता पड़ गई है क्योंकि वे मेरे पुराने साथी हैं। पार्लियामेन्ट में और नई सरकार में भी हम दोनों साथ रहे हैं। उन्होंने खुले तौर से यह कहकर कि "एटलीस्ट वन फ्रेन्ड वी हेव वन" मुझे अपने साथी के तौर से स्वीकार किया है तो इस नाते में अर्ज करूंगा और प्रार्थना करूंगा कि वे मेरी बातें साथी ही के नाते, उसी भावना और स्प्रिट से स्वीकार करें। मैं अर्ज कर रहा था कि राजपूत जाति के बारे में कुछ कुभावनाएं उत्पन्न हुई हैं इसमें कुछ शक और शुबहा नहीं है। ये क्यों उत्पन्न हुई हैं इसका भी इतिहास मैं जानता हूं यदि विरोधी दल के नेता इस इतिहास को सुनना पसन्द करेंगे तो मैं उसको भी सुनाऊंगा। हमारी स्वतंत्रता के बाद कुछ व्यक्तियों के दिमाग में यह बात आई कि इस स्वतंत्रता का अधिक से अधिक उपयोग होना चाहिये; एक विशेषवर्ग के लिये और उन व्यक्तियों ने एक संगठित प्रयत्न शुरू किया। मुझे मालूम है कि सन् ४७ में एक प्रयत्न किया गया था। समाचार पत्र निकाल करके एक विशेष वर्ग को दूसरे वर्गों के मुकाबिले मजबूती से आगे लाने का प्रयत्न किया गया था। मुझे, इस तरह के समाचार पत्र निकालने या और प्रयत्न करने पर आपत्ति नहीं है। लेकिन उस प्रयोग के अंदर दो बातें की गई थीं. पहली बात तो यह थी कि जगह जगह समाचार संग्रह करके प्रचार करना

और दूसरा हिन्दू राष्ट्र के नाम से प्रचार । इस सब के पीछे एक वर्ग काम कर रहा था। अखबार वगैरह निकालना और समाचार संग्रह करना–इससे मुझे कोई एतराज नहीं है; लेकिन इसके साथ ही राजपूत जाति को भड़काने की कोशिश की गई और अहिंसा को पतित चीज बताने की कोशिश की गई। मैं थोड़े शब्द आपकी आज्ञा से सुनाना चाहता हूं:–

"अब समस्या यह है कि शेष भारत की रक्षा कैसे की जाय क्योंकि आज बड़े से बड़े राजनीतिज्ञ यह घोषणा कर रहे हैं कि दोनों उपनिवेशों में युद्ध होना अनिवार्य है। यह तो युद्ध की घोषणा है। हम यह भलीभांति जानते हैं कि हमारी तलवारों का पानी अभी मरा नहीं है। हमें हिन्दू धर्म और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य को समझना चाहिये ।"

मैं इसके लिये विरोधी दल के नेताओं को जिम्मेदार नहीं कहता। लेकिन उनकी सूचना के लिये अर्ज करता हूं कि ऐसे भड़काने वाले तत्व हैं जो आपको, हमको और राजपूत जाति को बदनाम करते हैं। आप भी ऐसे लोगों का साथ न दें। लेकिन दुर्भाग्य है कि ऐसे लोगों का कुछ लोगों ने साथ दिया जिसका परिणाम आज हम भुगत रहे हैं। मैं अपील करूंगा इस बारे में कि आप खुद सोचें अध्यक्ष महोदय मुझे शिकायत करनी है आपके यहां की व्यवस्था के बारे में वह यह है कि हमारे बैठने उठने के जो स्थान मुकर्रर किये गये हैं वे अलग अलग हैं। इसका परिणाम यह होता है कि विरोधी दल के मित्र उधर बैठते हैं और हम इधर। इससे हम आपस में कोई बातचीत नहीं कर सकते। मैं नम्रता से अर्ज करूंगा कि हमें दोनों को साथ साथ बिठलाने की व्यवस्था करें। मैं अर्ज कर रहा था कि इस तरह भड़काने वाले तत्वों के हम शिकार हुए और उसके बाद में एक संगठन का प्रयास चालू हुआ और उसका नाम राजपूत संगठन हुआ। मेरे कुछ मित्र, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, उनसे मुझे न केवल स्नेह है बल्कि उनके लिये आदर भी है, वे भी आये और उन्होंने एक मीटिंग की। यह बात सन् १९४८ की है। उस मीटिंग में राजपूत संगठन और राजपूतों की रक्षा की बात कही गई।

श्री जसवन्तसिंह:–यह सेल्फ डिफेन्स के लिये की गई होगी।

श्री जयनारायण व्यास:–यह सेल्फ डिफेन्स नहीं था। सेल्फ डिफेन्स के नाम से आप एक ऐसी बात की घोषणा कर रहे हैं जो आपको, हमको, देश को और राजपूत जाति को नुकसान पहुंचाती है। इसके बाद सेल्फ डिफेन्स की ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई। ७५ घोड़ों के घुड़सवार जगह जगह जाकर ट्रेनिंग लेने लगे; इसके लिये एक रियासत में इतने घोड़े और इतने शिकारी हों, ऐसी व्यवस्था की गई। यह नवम्बर ४७ की बात है। मैं यह शिकायत के तौर पर नहीं कहता बल्कि सूचना के तौर पर कहना चाहता हूं कि यह ट्रेनिंग इस प्रकार का वातावरण बनाने का बहाना था।

यदि किसी अधिकारी ने किसी बहिन के साथ बुरा बर्ताव किया है तो मुझे उसके लिये अफसोस है। चाहे कांग्रेस की सरकार हो या और किसी की;

हम उस सरकार के हाथ मजबूत करेंगे और कहेंगे कि इस प्रकार के अत्याचार करने वाले तत्वों को वह दबावे। मुझे भय है कि यहां जो बात कही जाती है वह अनुचित तत्वों को खत्म करने की नीयत से नहीं कही जाती है; वह कही जाती है इसलिये कि "सरकार का भोंपू बजता रहे"। मैं मानता हूं कि यह "भोंपू" शब्द सदन की शान के अनुकूल नहीं है।

श्री जसवन्तसिंह:—आप भी इसे इस्तेमाल करते हैं।

श्री जयनारायण व्यास:—मैं जिस नीयत से इस्तेमाल करता हूं उसमें और आप जिस नीयत से इस्तेमाल करते हैं उसमें फरक है। चुम्बन बच्चों का भी लिया जाता है और स्त्री का भी, पर दोनों में अन्तर है। मैं अर्ज कर रहा हूं कि इस तरह का जो वातावरण है उससे राजपूत जाति को अलग रखने की कोशिश की गई और उसकी प्रतिक्रिया हुई और हो रही है। नतीजा यह होता है कि राजपूत जाति अलग हो जाती है और दूसरी जातियां अलग हो जाती हैं। यह बात दूसरी है कि कांग्रेस का मुकाबला करने के लिये विरोधी दल के साथ दूसरे व्यक्ति, जिनके स्वार्थ निहित है वे शरीक हो सकते हैं। मैं आपको सूचना दूंगा कि ऐसे व्यक्ति शरीक इसलिये नहीं होंगे कि उनको राजपूत जाति से प्रेम हो गया है अथवा उनको किसी से प्रेम है; यह आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं।

मेरे एक भाई कम्युनिस्ट भी यहां हैं। उन्होंनें बहुत जोर से भाषण दिया है उनका भाषण प्लेन (plain) था और सुन्दर भी था। लेकिन उसमें केवल शब्द और वाक्य ही थे, तथ्य कुछ नहीं था, दूसरे मित्रों के भाषण भी सुने है। उन्होंने किशनगढ़ के चुनाव और कई दूसरी बातों का जिक्र किया; उनका जवाब देने की मुझे जरूरत नहीं है। वे बातें इसलिये नहीं कही गई हैं कि हमें शिकायत नहीं करनी चाहिये, ये शिकायतें सरकार को ज्ञान दिलाती हैं कि तुम कहां पर खड़े हो। ये शिकायतें वाजिब और सही हैं तो उनका असर ठीक होगा, नहीं तो बुरा होगा; यह सोचने की बात है। मुझे अफशोस होगा तो विरोधी दल के नेता की बातों से होगा क्योंकि वे मेरे पुराने साथी हैं। वे बीकानेर में चीफ मिनिस्टर थे और उस समय में जोधपुर में चीफ मिनिस्टर था। मेरी उनकी पुरानी मित्रता है। उनके मुख से इस तरह की बातें सुनकर मुझे दुख: होता है। चाहे वे विरोधी दल में जाकर बैठ जायं, चाहे रूठ भी जायं तो भी मैं उन्हें मनाऊंगा। उनके लिए मुझे अफशोस जाहिर करना पड़ता है कि उन्होंने यह क्या बातें कही कि राजपूत जाति को खत्म करने की कोशिश की जा रही है लेकिन हम खत्म नहीं हो सकते। यह क़हना तो हमारे लिए शोभा की बात है कि हम राजपूत जाति को खत्म नहीं होने देंगे। यह बात तो हमें कहनी चाहिये कि हम राजपूत जाति को खत्म नही होने देंगे; परन्तु यह बात उन राजपूतों के लिए नहीं है जो डाके डालते हैं या डाकुओं के साथ गठबन्धन करते हैं। आप भी इस बात को मानेंगे कि ऐसे लोग राजपूत नहीं हैं बल्कि दुष्ट हैं, राजपूतत्व के लिए कलंक है। मेरे साथी ने कहा कि एक रावत जाति की स्त्री के साथ बलात्कार किया गया। अब इसका क्या जवाब दिया जा सकता है, मुझे भी कहने दिया जाय कि १० केस मर्डर के हुए—यह हुआ वह हुआ।

मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अब जरूरत इस बात की है कि अपनी भावनाओं को कुछ पलटा दें। हमारे संबन्ध चाहे जो हों; चाहे हम विरोधी पक्ष के हों या सरकारी पक्ष के; इन संबन्धों को मधुर बनायें, हम मिलें जुलें और एक दूसरे के नजदीक आयें। अगर हम इस भावना से चलेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे और अगर यह भावना नहीं हुई तो हमें हानि है। यदि किसी मंत्री ने कह दिया कि इस Question का जवाब आज हमारे पास नहीं आया है, मंगायेंगे और आ जाने पर कल जवाब देंगे तो इस पर "shame, shame" चिल्लाया जाय और इसके बाद यदि दूसरे मंत्री ने फिर कह दिया कि इसका उत्तर कल दिया जायगा तो विरोधी दल की ओर से कहा जाय कि "See, this is another example of insufficiency of the Government" तो हम आगे नहीं बढ सकेंगे और यह हमारे लिए कोई शोभा की बात नहीं है।

अतः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत विरोधी दल के नेता से अपील करना चाहता हूं कि आप मन से ऐसी भावनाओं को, कि राजपूत जाति को खत्म किया जा रहा है—निकाल दें और राजपूत जाति को खत्म किये जाने के खतरे के नारों को प्रोत्साहन न दें।

श्री जसवन्तसिंह:—मैंने यह कहा था कि जो गिरे हुए हैं उनको इतनी बेरहमी से कुचला जा रहा है कि कोई ठिकाना नहीं है; गवर्नमेंन्ट इस ओर तवज्जोह दे।

श्री जयनारायण व्यास:—मुझे मेरे साथी के कहने से अभी भी संतोष नहीं हुआ है क्योंकि कल जो उन्होंने भाषण दिया उनके कहने से ऐसा मालूम होता था कि मानो राजपूत जाति को खत्म किया जा रहा है उनके भाषण से ऐसी हवा हो गई थी कि राजपूत जाति को खत्म किया जा रहा है, ऐसी हवा का हाउस के बाहर बहुत बुरा असर पडता है। अगर वह हवा खत्म हो गई है तो विरोधी दल के नेता हमारे साथ आकर हाथ मिलाएं।

हमें राजपूत जाति को निकट लाना है और ऊंचा उठाना है। जो अराजपूतत्व रखते हैं, उन तत्वों को खत्म करना है। हम राजपूतों को प्रोत्साहन क्यों नहीं देंगे?

आज जागीरदारी का एक सवाल है जिसका हमारी बदकिस्मती से, राजप्रमुख के भाषण में जिक्र नहीं है या बहुत दक्षता से उसका जिक्र टाला गया है। मैं तो यह कहता हूं कि अब जागीरदारी नहीं रह सकती यह तो "Fait accomply" है। इसके मायने यह नहीं कि जागीरदार नहीं रह सकते, उनका सम्मान नहीं रह सकता, उनकी सुविधाएं नहीं रह सकती। राजस्थान सरकार उनको ज्यादा से ज्यादा मुआवजा देने को तैयार है, उन्हें खुद काश्त की जमीन भी देने की व्यवस्था करदी है। अब मेरी राय में इस जागीरदारी के Question को जल्दी से जल्दी Fairly सुलझा दें, इसीमें ठीक है। मेरा कर्तव्य होगा कि मैं इस सवाल को उठाऊं।

मैं यह मानता हूं कि विरोधी दल में बैठे हैं उनमें स बहुतसों को Administrative experience है, उनके गुणों का हम उपयोग नहीं कर पा रहे ह । ओपोजीशन पक्ष को भय लगता है, कांग्रेस राजपूत जाति के खिलाफ है र जपूतों को खत्म करने की कोशिश की जा रही ह—इस भावना को निकाल देना चाहिए। कांग्रेस राजपूत जाति के खिलाफ नहीं बल्कि वह उसके पक्ष में है । मैं कांग्रेस पार्टी के लीडर के नाते आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस राजपूत जाति के खिलाफ नहीं है, बल्कि वह उनके पक्ष में है ।

ओपोजीशन होना चाहिए, यह कोई बुरी चीज नहीं । परन्तु कुछ लोग इस लिहाज से ओपोजीशन करते हैं कि तमाशा होना चाहिए, गड़बड़ी होनी चाहिए। अगर इसी तमाशे में हम लगे रहे तो हम अपने लक्ष्य को भुला देंगे । हमारा लक्ष्य यह है कि हमें अपनी स्वतन्त्रता को कायम रखना है और इस स्वतन्त्रता में आपसी प्रेम को और राष्ट्र को आगे बढ़ाना है; मानव जाति के हित में और राजपूत जाति के हित में। बेशक सांप्रदायिकता की वजह से कुछ नुकसान हुआ है । अब हमें उस ट्रेन्ड को बदलना है। हमें खिलाफ बातें कहनी हो तो सुन्दर शब्दों में कहें , यह नहीं कि वे बातें भोटी हों,——लगे भी तो, न तो सिर कटे और सिर्फ चुभती ही रहें । इस "Pin pricking" की नीति को दूर करें ।

अभी बहुत सारे चार्जेज लगाये गये हैं, जैतारण परगने के बारे में। यह वही जैतारण परगना है, जिसके कुछ भाइयों ने जो अपने आपको राजपूत कहते हैं जुल्म किये हैं। वहां खून, नाक काटने और औरतों को नंगी करने के केसेज मौजूद हैं। उनके लिए मैं राजपूत जाति को बदनाम नहीं करता, दोषी नहीं ठहराता; मैं तो सिर्फ सम्बन्धित व्यक्तियों को दोषी समझता हूं। एक Constable ने कोई गल्ती की और उसके लिए यदि Chief Minister को बदनाम करे तो यह ठीक नहीं है । कर्नल साहब ने कल कहा था कि हमारी गाड़ी गई और मिनिस्टर साहब ने चौकीदार को कहा कि डाकू आ रहे हैं, साले को गिरफ्तार करलो। शास्त्रीजी ने बलात्कार की बात कही कि प्रमाण नहीं हैं फिर भी बलात्कार हुआ। बात ऐसी कहनी चाहिए जिसके पीछे प्रमाण हों ।

इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा कि आप मेरी भावनाओं को समझें और आपस में सद्भावना पैदा करने की कोशिश करें ।

श्री रूपनारायण शास्त्री:—अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह स्त्री-जाति की इज्जत को बचाने का प्रश्न है। मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हू कि जो बात मैंने कही है उसको साबित कराया जा सकता है।

श्री भैरूंसिंह केकवा:—माननीय अध्यक्ष, हमसे यह आशा की जाती है कि राजप्रमुख के भाषण में जो बताया गया है उसके लिये हम सब उनको धन्यवाद दें। आधा धन्यवाद दिया जाय या पूरा। कुछ काम तो ऐसे हुए हैं जिनके लिए धन्यवाद दिया जा सकता है। और इस हिसाब से यह आधा ही धन्यवाद होगा और कुछ काम ऐसे हुए हैं जिनके लिए

धन्यवाद नहीं दिया जा सकता है । आधा धन्यवाद नहीं देने की बातें ऐसी हैं, जिनको, मुझे दुख: है, में नहीं कहना चाहता हूं किन्तु थोड़े बहुत टूटे फूटे शब्दों में कहूंगा और यदि कोई ऐसे शब्द आजाय जिनसे कि दुख: हो तो कृपया मुझे क्षमा करियेगा।

राजप्रमुख के भाषण में यह बताया गया है कि:—

"I referred to the determination of the Government to end lawlessness and restore security at any cost."

इस सम्बन्ध में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं उस जगह से आया हूं जहां कि पिछले महीनों में डाकुओं का आतंक था, लोगों में बेचैनी थी। वहां अरावली के पहाड़ हैं। वहां पर पुलिस ने सावधानी के साथ डाकुओं को पकड़ा, मारा और लोगों में शान्ति और सुरक्षा को कायम किया। जहां तक डाकुओं को मारने और पकड़ने का सवाल है मैं कह सकता हू कि पुलिस इसके लिए बधाई की पात्र है। किन्तु जिस शान्ति और सुरक्षा के नाम पर निर्दोषी आदमियों के साथ निर्दयता के साथ व्यवहार किया गया, क्या यह शान्ति और सुरक्षा के नाम पर किया जाना उचित था? "सिक्योरिटी एट एनी कोस्ट" के मायने यह नहीं हैं कि हमारे हाथ निर्दोष आदमियों के खून से रंगे हुए हों। हर एक आदमी की इन्डिविज्युएलिटी का ध्यान रखा जाना चाहिए था। इस बात की पुष्टि इससे भी हो जाती है कि यदि सिक्योरिटी कायम करने के लिए, रोब गालिब करने के लिए, ४, ५ आदमी वैसे ही मर जायं, जैसा उधर के पक्ष वालों ने कहा था, तो कोई हर्ज नहीं; यह तो सिक्योरिटी कायम करने के लिए आवश्यक है। अगर यही हमारी नीति है, इस सिक्योरिटी को बनाने के लिए तो मैं कह सकता हूं कि यह टोटेलिटेरियन फोर्म ओफ गवर्नमेन्ट है और यह हमें नाजीवाद की याद दिलाती है। जो सिद्धान्त हमें बापू ने सिखाये थे आज हम उन्हें भूल गये हैं और वे इस सिद्धान्त के पृथक पड़ते हैं, न्याय और अहिंसा के प्रतिकूल हैं ।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस शासन में व्यक्ति की कोई इम्पोर्टेन्स न हो क्या वह शासन न्याय का शासन कहला सकता है और वह नाजी टेक्नीक से किस प्रकार कम है ? जैसा कि उधर के पक्ष के लोगों ने कहा था कि देश की सुरक्षा के लिए मर जाना चाहिए और सब कुछ किया जाना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि कौन देश की सुरक्षा नहीं चाहता, लेकिन सुरक्षा का मतलब यह तो नहीं कि निर्दयता के साथ बिना, किसी कसूर के बताये, केवल सन्देह में ब्राह्मण या और किसी को मार डाला जाय। मैं मानता हूं कि देश की सुरक्षा को कायम रखना चाहिए, किन्तु इन्नोसेन्ट आदमी को मारना और निर्दयता के साथ मारना शोभा नहीं देता। मैं उस जगह का जिक्र करूंगा जहां डाकुओं का आतंक था। पुलिस के लोगों ने एक ब्राह्मण को इस निर्दयता के साथ मारा कि उसकी हड्डी-हड्डी चूर चूर हो गई और उसकी लाश को उसकी स्त्री को भी नहीं सौंपा गया। अल्लाह मियां जानते हैं कि वह लाश दफनाई गई या जलादी गई। इस बात को बिल्कुल चुप रखा गया और उस लाश का आज तक भी कहीं पता नहीं है।

दूसरी बात है कलेक्टिव फाइन करने की। इस बात को देखकर मुझे चर्चिल का जमाना याद आता है, अंग्रेजी राज्य के वक्त का, जब कि इस प्रकार के कलेक्टिव फाइन किये जाते थे। हिन्दुस्तानियों की बात न सुनी जाकर उन पर डंडे की बोछार की जाती थी, वही बातें अब भी हो रही है। लोगों को पीड़ित किया जाता है, रोक दिया जाता है, स्त्रियों को बेइज्जत किया जाता है और पूछा जाता है "डाकू गये कहां, जब वे यहां आये थे तो बताना पड़ेगा कि डाकू लोग कहां गये?" इस तरह की बातें न तो हमने किसी इतिहास में पढ़ी है और न ही कहीं सुनी हैं। इसका मतलब तो यह हुआ कि तुम्हारे गांव में डाकू पैदा ही क्यों हुए? तुम्हारा खाना बन्द, तुम्हारा मूवमेन्ट बन्द। यह परिस्थिति बड़ी सोचनीय है और जिस गांव की ऐसी परिस्थिति रही हो, उसके लिए क्या कहा जाय? यह है न्याय के नाम पर स्वेच्छाचारिता, यह है सुरक्षा के नाम पर नाजीवाद। कल शायद मेरे लिए भी कहा जा सकता है कि तुम्हारे गांव का फलां आदमी कहां है, बताओ वह कहां गया; क्या स्थिति होगी उस समय मेरी? मुझे उसके लिए दंड दिया जावेगा। हमारा कानून तो यह बताता है कि चाहे दस दोषी छूट जायं किन्तु एक भी निर्दोषी नहीं मरना चाहिये।

अब मैं आपको "कहने और आचरण करने" के बारे में जो कहा गया उसके लिए कहना चाहता हूं। एक नये सज्जन आये, मैं उनका स्वागत करता हूं। यदि "कथनी और करनी" में फर्क नहीं होता तो वे उधर न बिराज कर इधर ही विराजते। इससे पता भी चल जाता है कि जैसा वे कहते हैं वैसा वे आचरण भी करते हैं क्या? लेकिन मुझे दुख: है कि कहा कुछ और जाता है और किया कुछ और जाता है। तीन रोज हुए जब से यह असेम्बली का सेशन हुआ वे तब ही से इधर ही विराज रहे हैं। कुछ मालूम नहीं कि अच्छी परम्परा कब और कैसे कायम होगी?

अब मैं आपके सामने एक सज्जन ने जो कहा था कि हमारा स्तर ऊंचा चला जा रहा है, उस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा स्तर नीचा जा रहा है या ऊंचा। मैं तो यह कह सकता हूं कि हमारा नैतिक पतन हो चुका है और वह पराकाष्टा पर पहुंच चुका है। दृष्टान्त के लिए ठाकुर साहब रूपनगर हैं। वे आज स्वयं भी यहां आ गये हैं। इनको एरेस्ट करने में ही कितना नैतिक पतन हो चुका है; जो सब आपके सामने है। कितने बड़े बड़े नेता इसमें शामिल हैं। उनके विचार क्या हैं और आचरण क्या है? राजनैतिक जीवन में घुसने के बाद खतरनाक हालत हो जाती है। हर दम उनका जीवन खतरे से भरा हुआ रहता है। कई भुक्तभोगी भी यहां मौजूद है। रूपनगर के ठाकुर साहब को किसी की अर्जी पर पुलिस ने पकड़ा, उसके पश्चात उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने लाया गया। पकड़ने का किस्सा तो एक एम, एल. ए. ने कह दिया था। उन्होंने ओवर हियर किया था कि क्यों नहीं जल्दी पकड़ लेते हो उसको। अतः यह चीज और भी मजबूत हो जाती है, और भी पुष्ट हो जाती है। नीचे दर्जे के कार्य करने के लिए नीचे दर्जे के आदमियों को तरजीह देनी पड़ती है। उनसे ऊंचे दर्जे का कार्य कैसे हो सकता है? अब मैं आपको अर्ज करूं कि मजिस्ट्रेट के पास खड़ा करने के पश्चात यदि वह दोषी है, तो उनको सजा दीजिए, डकैतियां की है तो उनको सजा

दीजिए। यह कोई मतलब नहीं कि राजपूत डकैती करते ही नहीं और दूसरे ही करते हैं। लेकिन जिस तरह के सिद्धान्तों को लेकर हम चल रहे हैं वे हमारी मानसिक कमजोरी बताते हैं और मैं यह कह सकता हूं कि हम प्रोटेक्टिव थ्योरी को लेकर नहीं चल रहे हैं। कुछ कार्यकर्ताओं की इच्छा थी कि इस प्रकार का प्रदर्शन नहीं किया जाय और यदि उनको दोषी ठहराया जाता है तो जब तक उनका दोष साबित न हो जाय उनको हेरेस न किया जाय। वहां से रवाना होने के पश्चात उनको जबरदस्ती महकमा खास के सामने खड़ा किया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि यह प्रदर्शन क्यों किया गया, इसकी क्या आवश्यकता थी? यदि कल्प्रिट हैं तो उनको जेल में पहुंचा दिया जाय। सुपरिन्टेन्डेन्ट साहब के पास पहुंचे तो जवाब मिला कि उनसे जवाब मांगा जा रहा है; हर एक आदमी को अपने पास अपने डिस्किशन की जगह है। इस प्रकार की बातें उसी समय होती हैं जब कि ऊपर से मिनिस्टरों की शय मिली हुई होती है। जब नीचे के अफसरों को इस प्रकार ऊपर से शय मिल जाय तो फिर उसकी कार्यकुशलता का क्या पूछना?

उनका चौराहों पर प्रदर्शन किया गया, हाथी पोल में उनका प्रदर्शन किया गया। इसके बाद उनके साथ "ए" क्लास के कैदी के साथ जैसा बर्ताव किया जाता है वह भी नहीं किया गया। उनको कन्वेयेन्स के लिए, जैसा की "ए" क्लास वाले को मिलता है, वह नहीं मिला बल्कि। उनको जेल तक पैदल ही ले जाया गया। क्या इस प्रकार का प्रदर्शन हमारे आपसी प्रेम को बढ़ाने वाला है; जिसकी दुहाई कांग्रेसी देते नहीं थकते। वे कहते हैं कि हमें आपस में प्रेम बढ़ाना चाहिये। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वे इसी प्रकार प्रेम बढ़ाना चाहते हैं? आप यह कहते हैं कि हमारे हाउस में अच्छी परम्परायें डाली जानी चाहिये, क्या एक पार्टी के साथ इस प्रकार का व्यवहार करके आप उनसे आशा रख सकते हैं कि वे आपको अपना सहयोग देंगे? जिस तरीके से इस संबन्ध में कार्य किया गया है वह बड़ी शर्मनाक बात है। इस काम में मौजूदा मंत्री मंडल के दो तीन मंत्रियों का हाथ है; वे उस समय वहां मौजूद थे। वास्तव में यह कार्य अफशोस जनक है।

मेडिकल के बारे में जिस प्रकार मैंने पूर्व सेशन में कहा था कि हमारी सरकार ने जिस तरह डाकुओं का सफाया किया है उसी तरह नेरू (बाला) जो एक प्रकार की बीमारी है जिससे उस क्षेत्र में बहुत ज्यादा लोग पीड़ित हर साल रहते हैं उसको मिटाने की हमारी सरकार कोशिश करती। बहुधा क्या देखा गया है कि डाक्टर आते हैं तो उनके साथ दवाइयों नहीं होती और दवाइयां होती भी है तो भी वे इतनी कम मात्रा में कि उनका उचित उपयोग नहीं होता। मेरा तो यही निवेदन है कि जहां डाक्टर जावें उनके साथ दवाइयां भी पूरी मात्रा में हों, दवाई और डाक्टर का बराबर सन्तुलन होना चाहिये। वहां डाक्टर कुछ दिनों के लिए गये। उन्होंने कुछ व्यक्तियों का आंपरेशन भी किया। किन्तु वह आपरेशन करते ही वापिस लौट आये। बाद में उनको पट्टी वगैरह

बन्धवाने के लिए राजनगर जाना पड़ता था । एक आदमी का उसके साथ भी रहना आवश्यक होता है । राजनगर करीब वहां से ५ मील की दूरी पर है । इस तरह से बार बार आने में काफी दिक्कत लोगों को होती है और पैसा भी खर्च होता है । मेरा तो यह निवेदन है कि वहां नेरू के लिए रिसर्च किया जाय । यह बिमारी यहां क्यों होती है ? कम से कम एक डाक्टर को वहां एक महिने तक तो अवश्य रखा जाना चाहिये ताकि लोगों का ठीक तरह से इलाज हो सके ।

अब मैं लोकस्ट (टिड्डियों) के बारे में अर्ज करूंगा । मेवाड में इनकी रोकथाम के लिए कोई इन्तजाम नहीं हुआ है । मैं इस विषय में एग्रीकलचर विभाग में गया था और मैंने कहा कि हमें कीड़ों को मारने के लिए इन्सेक्टीसाइड पम्प दिया जाय । वहां पर सिर्फ एक ही पम्प मिला एक पम्प से कितने जर्म्स मारे जाते हैं ; इन कीड़ों का मारना मुश्किल है।

श्री अध्यक्ष–आपका समय समाप्त हो गया है ।

श्री नाथूराम मिर्धा:–माननीय अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष:—Briefly within 15 minutes.

श्री नाथूराम मिर्धा:—Yes, Sir.

श्रीमन् राजप्रमुख ने आज से तीन रोज पहले एक अभिभाषण इस सदन के सामने दिया था उस भाषण पर धन्यवाद देने के प्रस्ताव पर तीन रोज से इस सदन में बहस चल रही है दोनों पक्षों के सदस्यों ने अपने अपने भाषण इस सदन के सामने रखे । वे भाषण मैंने भी बहुत गौर से व अच्छी तरह से सुने । मुझे उनमें उठाये गये कुछ प्रश्नों का जवाब देना है और बताना है कि जो कुछ बहस हाउस में तीन रोज से की गई है वह बहस उसी स्तर पर की गई है जो पिछली बार इसी प्रकार के भाषण पर इस सदन में हुई थी । इन भाषणों में मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा सुझाव नहीं दिया गया है जिसके ऊपर हम अमल करके अपने प्रान्त को आगे ले जाने की व्यवस्था कर सकें । कुछ आलोचनायें तो बिल्कुल तथ्यहीन व झूठी थीं ; कुछ आलोचनायें बिल्कुल गलत की गईं । कुछ बातें खास तौर से फाइनेन्स के बारे में कही गई हैं; उसकी जानकारी में हाउस के सामने रखने की चेष्टा करूंगा ।

श्री इन्द्रनाथ मोदी:—On the point of order, Sir, is the word "Jhoothi" Parliamentary.

श्री नाथूराम मिर्धा:–शब्द "झूठी" अनपार्लियामेन्टरी नहीं है ।

श्री इन्द्रनाथ:—The Hon'ble Minister just now stated, "कुछ बातें झूठी थी " I want a ruling, Sir, whether "Jhoothi" is parliamentary.

श्री अध्यक्ष:—It is not.

श्री इन्द्रनाथ मोदी—Thank you. I hope the Hon'ble Speaker will have the courtesy to withdraw it.

श्री अध्यक्ष:—Order, Order.

श्री नाथूराम मिर्धा:—सबसे पहला सवाल सदस्यों द्वारा इलेक्शन के बारे में उठाया गया था। चुनाव के लिए यह कहा गया कि जो परम्परायें इस सम्बन्ध में डाली जा रही हैं वह डेमोक्रेसी के काबिल नहीं। इस सम्बन्ध में कुछ बातों को बतलाते हुए कहा गया था कि एक सवाल जो इलेक्शन के विषय में पूछा गया था उसके सिलसिले में कहा गया कि मंत्री लोगों ने कार्यकर्ता के रूप में वहां जाकर कार्य किया और उनको इस प्रकार का कार्य करने का अधिकार नहीं था तथा उस समय की तनखा उनको draw नहीं करनी चाहिये थी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस विषय में भी उनकी कुछ लिमिट होनी चाहिये। मंत्री लोगों को कुछ खास सुविधायें भी दे रखी हैं। वे सरकारी मकान में रहते हैं। यदि वे चार रोज के लिए पार्टी के काम में जाते हैं तो क्या उनको वे सरकारी मकानात भी खाली कर देने चाहिये, उनको निजी सरवेन्टस भी दे रखे हैं जो बंगलों पर काम करते हैं तो क्या उन दिनों में उनको बाहर, निकाल देना चाहिये? यह एक तरह की एबसर्ड लिमिट है। चार दिन के लिए काम के लिए जायं और सारी सुविधायें छोड़ देनी पड़े? मैं सदन के सामने माननीय अध्यक्ष, आपके जरिये, यह रखना चाहता हूं कि आखिरकार इस चीज की भी लिमिट होनी चाहिये।

हमें उन दिनों में भी जनता का कार्य करते रहे और मैं आपको बताऊं कि हम सरकार का काम सुचारू रूप से बिना किसी अड़चन के करते रहे और एक्स्ट्रा समय में रात को जग कर काम करते थे। महज एक पार्टी के सदस्य होने के नाते हमारे लिये यह कहना बिल्कुल ही संकुचित और झूठा आरोप व दृष्टीकोण है। मैं तो यह कहूंगा कि यह सारा आरोप शासन पर इस तरह के प्रश्न उठा कर गेलेरी में बैठे हुए लोगों के सामने, गवर्नमेन्ट की जो पार्टी काम कर रही है उसको बदनाम करने के सिवाय कोई दूसरी बात नहीं हो सकती।

बहुतसी घटनायें जो इलेक्शन के सम्बन्ध में घट रही थीं और जिनके बारे में विरोधी दल के सदस्यों ने कहा, उस सम्बन्ध में मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि जब इलेक्शन हुए थे उस समय क्या परम्परायें थी। आप एक झोपड़े में रहने वाले गरीब किसान से पूछें कि किस तरह की तबाही उस समय मचाई गई थी और किस प्रकार इलेक्शन में अत्याचार करके वोट प्राप्त किये गए थे।

श्री अध्यक्ष:—The Hon'ble Minister will only reply to the points. (विरोधी पक्ष की ओर से करतल ध्वनि)।

श्री नाथूराम मिर्धा:–परम्पराओं के सम्बन्ध में जो बातें कही गई हैं उसके सम्बन्ध में मैं यह कहूंगा कि परम्परायें सब मिल कर कायम करते हैं। इसके बाद में जहां राजप्रमख ने अपने भाषण में राजस्थान के ग्लोरियस पार्ट का जिक्र किया था उसको लेकर एक बात यह कही गयी थी कि राजस्थान में परम्पराएं रखने की बातें तो की जाती हैं मगर उनका पालन नहीं किया जाता। पुरानी परम्पराओं को नष्ट किया जाता है और उसके बारे में गुजरे हुए दशहरे का जिक्र करते हुए एक माननीय सदस्य ने बताया कि किस तरह से दशहरा, जो सदियों से हमारे यहां राजस्थान में मनाया जाता है, इस साल सरकार की तरफ से नहीं मनाया गया। उन्होंने इसके लिये यह कहा कि यदि सरकार २–३ हजार रुपया ऐसे बड़े त्यौहार के लिये खर्च कर देती तो सरकार को उसमें क्या आपत्ति होती? मैं माननीय सदस्य के दिये हुए खर्चे के इस आंकड़े को लेकर ही बताना चाहता हूं कि राजस्थान प्रदेश हमारी २० छोटी छोटी रियासतों को मिलाकर बना है। इन सब रियासतों में दशहरे का त्यौहार मनाया जाता है। इसके अलावा कई जिले भी हैं जो दशहरे के त्यौहार को मानते आ रहे हैं। यदि एक ही जगह का २–३ हजार रूपयों का खर्चा आंका जावे तो ऐसी २० रियासतों में कम से कम ५०–६० हजार रुपये तो खर्च होंगे ही और वह भी उस चीज पर यानि रावण पर; जो सोर (बारूद) और कागज का बनता है और जलाया जाता है। रावण ५ मिनिट में जल कर खाक हो जाता है। यह विषय सदस्यों के विचारने का है कि जो ६०–७० हजार रूपया चन्दा मिनट में इस प्रकार बर्बाद होता है सिर्फ लोगों की खुशी के लिये, उसे खर्च कर दना कहां तक वाजिब और उचित है? इस प्रश्न को मैं हाउस के सदस्यों के सोचने के लिये छोड़ता हूं।

इसके अलावा सबसे बड़ा चार्ज जो इस अभिभाषण के खिलाफ जो कि विरोधी दल की तरफ से था, वह यह था कि इस भाषण में जो बातें कही गई हैं डिटेल्स में नहीं कही गई। इस सम्बन्ध में मैं आपको बताऊं कि इस प्रकार के जो हेडस हाउस के सामने रखे जाते हैं उसमें डे टू डे बहुत ज्यादा कार्यवाही नहीं आती है। जिन जिन योजनाओं का जिक्र होता है उनका सारा हाल उसमें नहीं होता। केवल बड़ी बड़ी योजनाओं का ही जिक्र किया जाता है। मिसाल के रूप में चम्बल की योजना का जिक्र किया गया है। यह एक बहुत बड़ी योजना जनता को फायदा पहुंचाने के लिए हैं। इसके बाद जवाई का जिक्र किया गया है। इस सम्बन्ध में पिछले समय में मैंने जवाई का हाल आपके सामने रखा था। मैं यह फिर बताना चाहता हूं कि जवाई बन्ध योजना की तरक्की की तरफ सरकार का पूरा ध्यान है। इसमें टेक्निकल मुसीबतें थीं जिनको भारत सरकार की सहायता से हल किया गया है। इसके लिये इस साल २५ लाख रूपयों का प्रोविजन है और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि २०–२५ रोज पहले भारत सरकार से ५० लाख रूपये की और मंजूरी आ गई है। इस तरह ७५ लाख रुपया खर्च करने की योजना है। इस बन्ध को जल्दी से जल्दी तय्यार किया जावेगा और पूरा करने का सारा इन्तजाम सचारू रूप से चल रहा है। हमारे विरोधी दल के जो सदस्य यह आशंका करते हैं कि इस बन्ध को पूरा होने में ६–७ साल और लग जावेंगे; यह आशंका ठीक नहीं है।

Shri Indra Nath Modi:—Has the Government, through you, sir, prepared any plans for the proper spending of these 75 lacs of rupees? I know the Hon'ble Minister will remind us in this connection that a sum of additional 50 lacs has been obtained from the Government of India through their good offices. The question is not merely of making a provision. The question is whether we have the machinery to spend that money properly.

श्री नाथूराम मिर्धा:—जो रुपये खर्च करने हैं, उसके लिये पहले पूरी योजना बना कर खर्च किया जाएगा।

श्री इन्द्रनाथ मोदी:—We will be delighted to see next time how far you succeed.

श्री नाथूराम मिर्धा:—इसके बाद जो फाइनेन्स कमिशन का मेमोरेन्डम राजस्थान सरकार के सामने रखा गया था, आता है। उसको लेकर मुझे अयोग्य ठहराया गया था कि मैंने उस मेमोरेन्डम को पेश करने से पहले हाउस के सदस्यों को कान्फिडेन्स में नहीं लिया। मैं हाउस के सामने यह कहना चाहता हूं कि यह सरकार ३० मार्च को बनी और अप्रेल में हमारा सेशन चालू होने जा रहा था। उस समय फाइनेन्स कमिशन के आने की कोई संभावना भी नहीं थी, न इत्तिला ही थी। बजट सेशन के बाद इस मेमोरेन्डम को तैयार किया गया और उसके बाद में यह सदन के मिलने का पहला ही मौका है और हाउस के सामने यह मेमोरेन्डम पहले पहल रख दिया गया है।

Shri Indra Nath Modi:—On a point of explanation, Sir. I am sorry to interrupt. My objection was not that the Memorandum was not brought to the notice of the House. My objection is more fundamental one. The House should have been taken into confidence in the preparation of the Memorandum and the House could certainly have been called earlier for dealing with matters which go to the very root of the administration.

श्री नाथूराम मिर्धा:—यह बात, हमारे माननीय सदस्य जिस समय हाउस के सामने कहते हैं उस समय उनको दूसरी इसी प्रकार की स्टेटों की परम्पराओं को अपने सामने रखना चाहिये कि किसी भी स्टेट में किसी भी सदस्य को इस सम्बन्ध में कन्सल्ट किया गया। वहां पर जिन जिन लोगों के, अपने अपने इन्ट्रेस्ट के अनुसार, सुझाव भेजने उचित समझे, भेजें।

उपरोक्त कारणों से यह मेमोरेन्डम हाउस के सामने नहीं आ सका।

यह कहा गया है कि मेमोरेन्डम बनाते समय हाउस को कन्सल्ट करना जरूरी था। पर हमारे पास तो थोड़ा सा समय था और हाउस को कंसल्ट करना मुमकिन नहीं था क्योंकि उस समय एसेम्बली का अधिवेशन नहीं हो

रहा था और इसके लिये स्पेशल अधिवेशन बुलाना पड़ता। यह कहा गया है कि इस कमिशन की रिकमन्डेशन्स पार्लियामेन्ट में जायगी, इसलिये यह मेमोरेन्डम भी हमारी विधान सभा के सामने आना चाहिये था। मैं बताना चाहता हू कि विधान की धारा २७६ और २८० के अनुसार फाइनेन्स कमिशन की जो रिकमन्डेशन्स हैं वे सीधी राष्ट्रपति के पास जायेंगी और उस पर जो कार्यवाही होगी वह पार्लियामेन्ट के सामने रखी जायगी। इसी तरह की परम्परा दूसरे स्टेटस में भी है। हमें भी ऐसी ही परम्परा डालनी चाहिये। जो मेमोरेन्डम फाइनेन्स कमिशन के सामने रखा गया है वह सब बातों में पूर्ण है। आपने उसे देखा होगा। आप अपने नये दृष्टिकोण से विचार करके एक भी ऐसा पोइन्ट ऐसा नहीं बता सकते जो हमने उसमें नहीं लिया हो। मैं बताना चाहता हूँ कि यह एक इतना कंपलीट डोक्युमेन्ट है जिसकी तारीफ फाइनेन्स कमिशन के अध्यक्ष व सदस्यों ने की है और कहा है कि यह दूसरे कई प्रान्तों से अच्छा है। मैं इसे आपके सामने देखने के लिये रखने को तैयार हूं।

श्री अध्यक्ष:—You have taken twenty minutes.

श्री नाथूराम मिर्धा:—I think I have to reply certain points which were raised and............

श्री अध्यक्ष:— I can allow you two to three minutes more. Chief Minister will answer..........

श्री टीकाराम पालीवाल:—He is replying to the points raised in the discussions.

श्री अध्यक्ष—In the beginning he wasted his time (cheers in opposition).

श्री नाथूराम मिर्धा:—ये बातें भी हाउस में माननीय सदस्यों द्वारा कही गई हैं कि टी० ए० और ट्रान्सफर्स में फालतू अधिक रुपये खर्च किये गये हैं। यदि वे हमारे बजट में आंकड़ों की तरह ध्यान देंगे तो पता लगेगा कि हमने इस साल के बजट में इस मद्द में खर्च बहुत कम किया है, बढाया नहीं है। जबकि बजट के आंकड़ों में कमी की गई है तो फिर किस तरह से खर्चा अधिक किया जा सकता है? जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के मद्द में ५१–५२ में यह खर्चा १ लाख ६१ हजार था और ५२–५३ में १ लाख ४८ हजार ही रखा गया है। पुलिस विभाग में यह आंकड़ा पहले ७ लाख का था अब ६ लाख ही रखा गया है। एज्युकेशन में ३० हजार से घटाकर २० हजार ही कर दिया गया है। सेक्रेटेरियेट में भी पिछले साल से घटा कर काफी कम कर दिया गया है। ऐसी हालत में किस तरह से आप कहते हैं कि यह खर्चा ज्यादा किया गया है जबकि हमको सारा काम बजट लिमिट में करना पड़ता है?

हमारे यहां के टैक्स स्ट्रक्चर के बारे में बहुत कुछ कहा गया। उन्होंने कुछ आंकड़े फाइनेन्स कमिशन के सामने रखे जाने वाले मेमोरेन्डम में से पढ़कर सुनाये और यह कहा कि हमारे यहां टैक्स का स्ट्रक्चर किस तरह से ज्यादा है और उन्होंने इस स्ट्रक्चर को सबसे ज्यादा बताया। इस मेमोरेन्डम के पेज ८ पर गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे से तो ज्यादा टैक्स वेस्ट बंगाल, बम्बई, मध्य भारत आदि में है। आप यदि टेबल २–३ पर गौर फरमायेंगे तो रेवेन्यु, कमर्शियल के आइटम में हमारे यहां की पर कैपिटा इन्कम बहुत कम है और दूसरे प्रान्तों में हमसे बहुत अधिक है। यह जिम्मेदारी राजाओं की है जिन्होंने इस टैक्स को पुराने तरीकों से खराब कर दिया है। हम इसे सब जगह बराबर करके एक ही लेवल में लाने की कोशिश कर रहे हैं। जो क्रिटिसिज्म करते हैं वे इस तरह की कोशिश करते हैं कि गेलेरीज में बैठे हुए लोगों और अन्य लोगों को करेक्ट पिक्चर नहीं मिलती।

यहां यह बात भी कही गई है कि लोकल बोडीज मे टैक्सेशन का भार बढ़ रहा है और उनका जनता द्वारा विरोध हो रहा है। मैं आपके सामने यह बात रखूंगा कि यह हमारा उसूल है कि लोकल बोडीज सेल्फ सफिशियेन्ट बनें और अपने पांवों पर खड़ी रहें। राजस्थान सरकार ने यह तय किया है कि जो लोकल बोडीज अब तक स्टेट फंड पर चल रही थीं और उन्हें ग्रान्ट-इन-एड मिलती थी वह कम करदी जाय। जोधपुर म्युनिसिपैलिटी राज्य के एक्सचेकर पर चलती थी पर अब ऐसा नहीं हो सकेगा। लोगों को एमिनिटीज चाहिये तो टैक्स भी देना चाहिये। बाहर की रेवेन्यु को शहरों की एमिनिटीज के लिये खर्च नहीं किया जा सकता। इसलिये लोकल बोडीज को टैक्स लगाकर सैल्फ सफिशियेन्ट बनाना पड़ेगा। इस सम्बन्ध में आन्दोलन करने से काम नहीं चलेगा। इस प्रकार के आन्दोलन को लीड देने वाले हमारे इस सदन के सदस्य भी हैं।

शिक्षा के सम्बन्ध में भी कुछ बातें कही गई थीं। यह बताया गया था कि राजगढ़ कॉलेज का बिल्डिंग खराब हालत में है और उसकी कोई मरम्मत नहीं की जाती। मैं बताना चाहता हू कि राजगढ़ में कोई कॉलेज नहीं है। वहां की हाई स्कूल के बिल्डिंग के ४–५ कमरे खराब हालत में हैं। यह स्कूल बिल्डिंग एक सेठ ने ३–४ साल पहले डोनेट किया था। इसकी मरम्मत करवाने के लिये २१ हजार रुपये मंजूर किये गये हैं। देवली के सम्बन्ध में काफी कहा गया। सरकार ने देवली के सम्बन्ध में जो ओर्डर दिया है वह आज भी स्टेन्ड करता है। लेकिन इस तरह से लम्बी बातें करना ज्यादा अच्छा नहीं है।

जिस तरह से यहां पर युनेनिमसली आबू के लिये प्रस्ताव रखा था उसी तरह आप हमारे प्रान्त की आर्थिक व्यवस्था के लिये रिजोल्युशन पेश करते, जो वास्तव में हमारे मुल्क को फायदा पहुंचा सकता, तो ज्यादा अच्छा होता। मेमोरेन्डम के पेज १८ पर ३० आइटमस दिये गये हैं उनमें कोई कमी होनी चाहिये या नहीं होनी चाहिये; इस तरह का रिजोल्यूशन लाते तो ज्यादा हितकर होता।

श्री हरिकृष्ण:—आप पहले मेमोरेन्डम हाउस में पेश तो करिये फिर सब कुछ हो जायेगा।

श्री नाथूराम मिर्धा:—जागीरदारी उन्मूलन के मामले में पूरे रोड़े अटकाये जा रहे हैं। यदि आप एकमत से यह कहते कि बिना मुआवजा दिये इसे खत्म किया जाय या १० प्रतिशत मुआवजा देने के बदले २ या ३ प्रतिशत मुआवजा दिया जाय तो इससे जागीरदार सन्तुष्ट हो जायेंगे; तो बहुत अच्छा रहता। इस तरह के सुझाव आप रखते तो हम समझते कि वास्तव में आप जनता का भला सोचते हैं।

श्री गोपीलाल यादव:—हाउस को आपने इस तरह का कभी मौका दिया ही नहीं।

श्री जसवन्तसिंह:—माननीय अध्यक्ष, इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में काफी बहस हो चुकी है और मैं संयक्त दल की तरफ से Closure मूव करता हूं।

श्री टीकाराम पालीवाल:—क्या मैं भी इस पर नहीं बोल सकता ?

श्री जसवन्तसिंह:—हम लोग आपको सुनने के लिए बहुत उत्सुक हैं।

श्री अध्यक्ष:—प्रश्न यह है कि इस प्रस्ताव के ऊपर वाद-विवाद समाप्त किया जाय।

(क्लोजर स्वीकृत)

श्री टीकाराम पालीवाल:—श्री अध्यक्ष महोदय ! आज पिछले ३ दिन से श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण पर बहस हो रही है। इस बहस के दौरान में अध्यक्ष महोदय ! श्रीमन् राजप्रमुख महोदय के भाषण की आलोचना हुई है, कई दृष्टियों से।

श्री अध्यक्ष:—मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि Motion of thanks पर बहस के दौरान में ट्रेजरी-बेंचेज ने २ घंटा और १६ मिनट लिए हैं जबकि ओपोजिशन ने ४ घंटा और ३७ मिनट लिए हैं।

श्री टीकाराम पालीवाल:—आम तौर से यह आशा की जानी चाहिए कि श्रीमन् राजप्रमुख के भाषण पर जो विचार इस सदन में व्यक्त किये जायं वे केवल तथ्यों को लेकर ही हों। मैं यह नहीं कहना चाह रहा हूं कि जो आलोचना हुई है वह सर्वथा तथ्यहीन हुई है या उसमें तथ्य नहीं। मैं मानता हूं कि विरोधी दल के माननीय सदस्यों की ओर से या सरकारी दल के सदस्यों की ओर से कई बातें सुझाई गई हैं जिन पर सरकार आगे के लिए विचार कर सकती है। मैं इसके लिए उन सबको धन्यवाद देता हूं। फिर भी मैं यह कहे बिना

नहीं रह सकता कि जो आलोचनाएं हुई उनमें से कुछ को छोड़ कर बहुतसी आलोचनाएं केवल आलोचना के लिए ही की गई हैं। उनमें या तो तथ्य बिल्कुल नहीं था, या बहुत कम था या तथ्य को तोड़ मरोड़ कर रखा गया था।

मुझे इस बात का भी खेद है अध्यक्ष महोदय, जैसा मेरे मित्र मेरे साथी जयनारायणजी व्यास ने कहा कि इस सदन में जिस प्रकार का वातावरण, भाषा का स्तर रहना चाहिये, वह नहीं रहा। मैं इसे अनुभव करता रहा और इसका मुझे दुख होता रहा और मुझे कहते हुए भी दुख हो रहा है।

मैं धन्यवाद दूंगा इस सदन को, आज नहीं कल, इस बात पर कि इस सदन के विरोधी दल के नेता की तरफ से जो मुझे सहयोग मिला परन्तु; मैं यह भी अर्ज करूं कि धारा सभाओं में विरोधी हुआ करते हैं और विरोधी दलों में ताकत की आजमायश भी हुआ करती है, इसके लिए उत्सुकता भी होती है लोकप्रियता ऐसी चीज है कि उसके पीछे लोग बहुत दौड़ते हैं। इसको प्राप्त करने के लिए बहुतसी बातें कही जाती हैं। वह भी धारा सभा और राजस्थान जैसे बड़े प्रान्त की धारा सभा में एक जरूरत समझता हूं कि भाषा का स्तर सुन्दर रखा जाय। यदि शुरू शुरू में ही इस बात को भूल जायेंगे तो हमारे लिए सुन्दर नहीं होगा। बात यह है कि लड़ाई में भी Rules of game हुआ करते हैं। पिछले सैशन में ऐसा नहीं हुआ जितना इस सैशन में हुआ। कुछ साथी तो भूल जाते हैं कि वे इस सदन के सदस्य हैं और इस सदन में बैठे हैं। विरोध का तरीका सुन्दर भी हो सकता है। खैर जो हुआ सो हुआ। इस सदन में बैठ कर विशेष अधिकार हैं सदस्यों को कहने सुनने का, उनके लिए मैं ज्यादा शिकायत नहीं करता। मैं धन्यवाद दूंगा उन मित्रों को जिन्होंने इस प्रकार की भावनाओं के अंदर भी कई कई बातें सरकार के नाम की कही हैं। विरोधी दल के लोगों ने भी सरकार के कामों की सराहना की है और धन्यवाद भी दिये हैं। शान्ति-व्यवस्था के बारे में भी दो एक मित्रों ने धन्यवाद दिया कि स्थिति सुधरी है। अभी एक सदस्य ने बोलते समय मेरे साथी राजस्व मंत्री के कार्यों की सराहना की--उनको धन्यवाद दिया।

और इस प्रस्ताव में श्रीमन् राजप्रमुख को धन्यवाद देने का प्रश्न सदन के सामने है; उसमें भी इससे ज्यादा नहीं चाहा जा रहा है कि श्रीमन् राजप्रमुख ने जो भाषण दिया है उसके लिए यह सदन धन्यवाद देता है। यदि सरकार के अलग अलग कामों पर संतोष प्रकट किया जा सकता है, अलग अलग बातों के लिए सरकार को धन्यवाद दिया जा सकता है तो मैं नहीं समझता कि श्रीमन् राजप्रमुख को कुछ बातें मिला कर धन्यवाद क्यों नहीं दे दिया जाय। मैं चाहता हूं कि यह अवसर ताकत आजमायश का नहीं बनाया जाय, तो अच्छा है। ताकत आजमायश के लिए और भी अवसर आ सकते हैं। हमारे सदन की सुन्दरता में कमी आयगी, यदि श्रीमन् राजप्रमुख को धन्यवाद देने के प्रश्न का केवल ताकत आजमायश के तौर पर नाजायज तौर से कसमकस कर विरोध करें। मैं अपील करूंगा कि विरोधी दल के सदस्य इस अवसर को ताकत आजमायश का अवसर नहीं बनायें, तो अच्छा है।

मैं अब थोड़े समय के लिए भिन्न २ सदस्यों ने जो विचार प्रकट किये हैं उन पर बोलना चाहूंगा ।

सबसे बड़ी शिकायत सरकार के विरुद्ध Preventive Detention Act के उपयोग के सम्बन्ध में की गई है और भी कई शिकायतें की गई हैं कि Finances को ठीक प्रकार से नहीं संभाला गया, राज्य की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए ठीक काम नहीं किया गया ।

उनके उत्तर मेरे साथियों ने दिये हैं और मैं भी अपने विचार प्रकट करूंगा । इस प्रकार कई मामलों में और खाद्य स्थिति के बारे में भी शिकायतें की गई । मुझे ऐसा लगता है कि इन सब शिकायतों में से सबसे बड़ा जोर दिया गया है शान्ति और व्यवस्था पर । शान्ति और व्यवस्था के लिए सरकार को कुछ कदम उठाने पड़े, कुछ कार्यवाही करनी पड़ी । प्रिवेन्टिव डिटेन्शन एक्ट के अन्तर्गत और उस विषय को लेकर अधिक नाराजगी प्रकट की गई और वह भी किसी दूसरी चीज की वजह से; मैं समझ सकता हूं इस नाराजगी को । ऐसी बात नहीं है कि मैं न समझ सकता हूं । फिर भी मैं निवेदन करूंगा और मैं चाहता हूं कि आपको व्यक्तिशः इस बात का यकीन दिलाऊं कि प्रिवेन्टिव डिटेन्शन एक्ट में जो कोई कार्यवाही की गई है उसमें कहीं भी, एक अंश में भी, वह भावना कभी नहीं रही जिसकी शंका मेरे कुछ मित्र करते हैं। विरोधी दल को दबाने, कुचलने अथवा जागीरदारों को या विशेष सुविधा प्राप्त वर्ग को दबाने के लिए जो आशंका भी बताई थी, जो कुछ बातें मेरे मित्रों ने कही थीं मैंने पिछली दफा भी इस सम्बन्ध में कहा था और फिर कहना चाहता हूं कि न तो वर्ग विशेष के प्रति, न किसी दल के प्रति और न किसी जाति के प्रति कोई द्वेष की भावना अथवा दंड देने की भावना से कोई कार्यवाही की गई । मैं विश्वास दिलाता हूं और सत्य कहता हूं कि मैं कोई राजनैतिक भाषा में नहीं बोल रहा हूं । मेरे सामने कुछ मामले आये जरूर और बहुत रिलेक्टेन्टली, इच्छा के विरुद्ध भी, मुझे स्वीकृति देनी पड़ी उन मामलों पर। डिस्ट्रिक्ट ओफिसर्स ने अपने कर्तव्य के पालन में कानून के आधीन कुछ कार्यवाही करना उचित समझा और सरकार के सामने ड्यु कोर्स (Due Course) में जब वे सामने आई तो उनको ठीक प्रकार से एग्जामिन किया गया और जहां यह पाया गया कि डिस्ट्रिक्ट ओफिसर्स ने ठीक, आवश्यकता के अनुसार काम किया है तो उन्हीं मामलों में सरकार ने उनके एक्शन्स को अपहोल्ड किया, स्वीकृत किया ।

मुझे बहुत खेद है कि इस सदन के कुछ माननीय सदस्यों के खिलाफ भी प्रिवेन्टिव डिटेन्शन एक्ट के मातहत एक्शन लेना पड़ा। यह भी सही है कि वे फिर छोड़ दिये गये, एडवाइजरी बोर्ड की रिकमन्डेशन पर या हाईकोर्ट के फैसले पर; लेकिन इसके बावजूद भी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को इस बात का संतोष है कि जो एक्शन सरकार ने या सरकारी अधिकारियों ने लिया वह केवल समय की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ही लिया और उसका निश्चित रूप से कुपरिणाम नहीं निकला। यह

कहना कि एक्शन विरोधी दल को कुचलने के लिए लिया गया अथवा किसी वर्ग विशेष के लोगों को अथवा मेरे भाषण में जो ध्वनि निकलती थी उस ध्वनि को पूरा करने के लिए ही लिया गया, तो मेरे प्रति और सरकार के प्रति अन्याय होगा। ऐसी धारणा मेरे मित्र पूरी जानकारी के बिना न बनावें। मैं निवेदन करूं कि उनकी दृष्टि सम्भवतः एक, दो अथवा तीन विशिष्ट व्यक्तियों के विरूद्ध सरकार द्वारा बहुत स्ट्रिक्टली एक्शन लेने के कारण गई है।

इस सरकार के बनने से पूर्व राज्य की स्थिति से आप पूरी तरह से परिचित हैं। जिस कठिनाई में इस सरकार ने काम सम्हाला, यदि उस समय दृढ़ता से काम न लिया जाता तो स्थिति बद से बदतर हो जाती। उस समय आप, मैं और जनता भी महसूस करती थी।

श्री जसवन्तसिंह:—मैं डकैतियों के आंकड़े जानना चाहता हूं।

श्री टीकाराम पालीवाल:—मैं बता रहा हूं। तो मैं आपको यह कह रहा था कि स्थिति बड़ी नाजुक थी। गांवों और कस्बों में लोगों में सुरक्षा के लिए पुकार थी और सद्भावना मिट रही थी, लोग गांवों को छोड़ कर बड़े कस्बों में आ रहे थे, और जिनके पास राजस्थान से बाहर जाने के स्थान थे, राजस्थान को छोड़ रहे थे। ऐसी विकट स्थिति थी। डकैतियों के आंकड़े दो महीने के पहले के भी आप देखें तो आपको मालूम हो सकता है कि यह लॉलेसनेस किस प्रकार हो रही थी। यदि आप इसको माइन्युटली एक्जामिन करें तो आपको मालूम होगा कि वह अपने आप हो रही थी या उसके पीछे कोई हाथ था या है अथवा उसके पीछे कोई ओर्गेनाइज्ड योजना है। उसको, बिना सख्त कदम उठाये अथवा बिना दृढ़ता के रोका नहीं जा सकता था। जब तक उसकी जड़ में नहीं जाया जाता तब तक वह कैसे रोका जा सकता था।

वर्तमान सरकार मार्च में बनी थी। तब से दो तीन महीने पहले के अगर आप आंकड़े देखें और उसके बाद के आंकड़े देखें तो स्पष्ट रूप से मालूम होगा कि सरकार ने जो कार्यवाही की वह जरूरी थी और आपने देखा कि सरकार द्वारा एक्शन लेने के बाद नतीजा क्या हुआ? सरकार के एक्शन लेने के पहले जो स्थिति थी और बाद में जो स्थिति बनी उन दोनों तस्वीरों को आप सामने रखिये। आपको पता लगेगा कि यह सरकार के एक्शन लेने का ही परिणाम था। सरकार के एक्शन लेने के पहिले डाकुओं को छूट मिली हुई थी और वह छूट परिस्थिति को बिगाड़ रही थी।

जनवरी सन् १९५२ में राजस्थान में ३४ डकैतियां पड़ीं। फरवरी में ४४ डकैतियां पड़ीं और मार्च में वह संख्या ४८ हो गई। मैं निवेदन करूं की मार्च में नई सरकार बनी। नई सरकार ने कुछ सख्त कदम उठाने का निर्णय किया और उठाये भी। उसका यह परिणाम निकला कि उसके बाद से ही वह संख्या नीचे गिरने लगी। संख्या मार्च से ही गिरनी शुरू हो गई थी। अप्रेल में ३४ डकैतियां हुई, मई में २९, जून में २२, जुलाई में १५, अगस्त में १७ और सितम्बर में १८।

इस प्रकार आप देखेंगे कि यह स्थिति काबू में आना बड़ा कठिन था। यह ठीक है कि प्रिवेन्टिव डिटेन्शन एक्ट के अन्तर्गत जिन लोगों को पकड़ा गया उनमें से बहुत लोगों को छोड़ दिया गया क्योंकि एडवाइजरी बोर्ड ने उनके खिलाफ उनको गिरफ्तार करने के काफी प्रमाण नहीं समझे। प्रमाण काफी न होने से यह बात सिद्ध नहीं होती कि उन लोगों का हाथ इन चीजों में नहीं है। मेरे दूसरे पक्ष के साथी अच्छे वकील हैं, वे जानते हैं कि कई दफा यह होता है कि वास्तविक क्राइम कमिट किये जाते हैं, यह बात सब जनता जानती है, लोग जानते हैं और फिर भी अन्तिम निर्णय यह होता है कि न्यायालय उन प्रमाणों को काफी नहीं समझती है। कई दफा ऐसा होता है कि क्राइम कमिट हो जाते हैं, डे लाइट में मर्डर्स (Murders) हो जाते हैं फिर भी अपराधी कई दफा बच जाते हैं। लोग यह जानते हैं कि अपराधी यही हैं। उनके खिलाफ अभियोग चलते भी हैं, प्रमाण भी दिये जाते हैं फिर भी न्यायालय कई दफा उन प्रमाणों को काफी नहीं मानता और वे छोड़ दिये जाते हैं ....

(विचार जारी)

एक सदस्य—On a point of Order, Sir. Does the Chief Minister think that the law is defective.

श्री अध्यक्ष:—There is no point of Order. Please continue.

श्री टीकाराम पालीवाल:—(अपना भाषण जारी रखते हुए):—लॉ डिफेक्टिव हो सकते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा डिफेक्ट है जनरल करेक्टर का। यहां तक देखा गया है कि लोग झूठी शपथ उठा लेते हैं, कई दफा चीज को जानते हुए भी डर के मारे नहीं कहते। वे सोचते हैं कि यदि गवाहियां देंगे तो हमारे ऊपर अत्याचार होंगे। इस प्रकार लॉ के डिफेक्टिव होने के साथ साथ हमारी जनता का नैतिक स्तर भी बहुत गिरा हुआ है।

प्रिवेन्टिव डिटेन्शन एक्ट की जरूरत इसलिये पड़ी थी कि इसका उद्देश्य यह था कि जहां प्रमाण पूरे नहीं मिलते हों, कानूनी कठिनाइयों के कारण, क्योंकि इस तरह का काम करने वाले बड़े चतुर होते हैं। काम करने वाले इतने प्रभावशाली होते हैं कि उनके खिलाफ शहादतें देने को लोग तैयार नहीं होते। सरकार जानती है कि जिनका इस विषय में उत्तरदायित्व है, जो मोरल्ली कन्विन्स्ड हैं, फिर भी पूरे प्रमाण के अभाव में उनके खिलाफ कुछ भी एक्शन नहीं ले सकते। वे आगे क्राइम नहीं कर सकें और जिनको पिछले क्राइम का दंड दिया जा सके लॉलेसनेस के फैलाने में वे आगे कार्यवाहियां नहीं कर सकें इसीलिये इस एक्ट को काम में लिया जा रहा है।

(विचार जारी)

श्री इन्द्रनाथ मोदी:-The Honourable Chief Minister probably forgets that the tribunal with whose decision he is dealing is not such a Court that these difficulties should arise.

श्री टीकाराम पालीवाल:--में निवेदन यह कर रहा था कि इस प्रकार की स्थिति को दूर करने के लिए यह लॉ बनाया गया है और इसका उपयोग किया जाता है। और मैं यह सच्चाई के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि जिन सज्जनों के खिलाफ एक्शन लिया गया उनके बारे में मेरी व्यक्तिशः कोई जानकारी नहीं। मैं व्यक्तिशः नहीं कह सकता और न राय देना चाहता हूं और न कह सकता हूं। जो चीजें सरकार के सामने आई, जो जानकारी सरकार के सामने आई, जो स्थानीय अधिकारियों के सामने मसाला आया उनको ऐसा लगा कि सुरक्षा की दृष्टि से, जन हित की दृष्टि से उन सज्जनों के खिलाफ एक्शन लिया जाना लाजमी था और परिणाम स्वरूप एक्शन लिया गया। सरकार को सन्तोष है कि यदि इस प्रकार का एक्शन उनके खिलाफ नहीं लिया जाता तो प्रान्त की स्थिति ज्यादा खराब होने की संभावना थी। केवल इस प्रकार के एक्शन लिये जाने से ही हमारे प्रान्त की स्थिति में सुधार हुआ है, इससे हमारे विरोधी दल के लोग भी इन्कार नहीं कर सकते। वे भी मानते हैं कि इस प्रकार की कार्यवाही क बाद स्थिति में सुधार हुआ है। इसके विना अप्रिय चीजें हो सकती थीं, जो कि इस सदन के सदस्यों को भी प्रिय नहीं हो सकती थीं। सरकार को इस बात का खेद है कि इस सदन के कुछ सदस्यों के विरूद्ध भी एक्शन लेना पडा। यह हमारी कभी इच्छा नहीं थी और न है कि हम वगैर किसी प्रमाण के विरोधी दल के खिलाफ एक्शन लें, ऐसी कोई बात नहीं। पिछले दिनों ६३ आदमियों के खिलाफ एक्शन लिया गया; उनमें से २७ आदमियों को छोडा गया हाईकोर्ट के निर्णय पर। बहुत से लोगों के खिलाफ एक्शन लिया गया जिनके एक्शन को एडवाइजरी बोर्ड ने, न्यायालय ने, ठीक समझा । हो सकता है उनमें दस-पांच केसेज ऐसे हों जिनके विरुद्ध एविडेन्स, जो न्यायालय में जांचे जाते हों, न्यायालय की निगाह में अपूर्ण हों, यह संभव हो सकता है। जिस मसाले को न्यायालय ने और ट्रिब्यूनल ने काफी समझा उनके खिलाफ एक्शन लिया गया। स्पेशल ट्रिब्यूनल में हाईकोर्ट के जज होते हैं, जिनका अपना अपना अलग अलग दृष्टिकोण होता है। जो दृष्टिकोण हाईकोर्ट के अनुभव से बना होता है। उस दृष्टिकोण से यह हो सकता है कि उनको कन्विन्स कराने लायक मसाला नहीं हो। जिनके विरुद्ध एक्शन लिया गया अथवा सरकार ने उसकी अनुमति दी उसमें सरकार की कभी यह मन्शा नहीं थी और न रहेगी कि किसी व्यक्ति विशेष को इस एक्ट के अन्तर्गत एक्शन लेने की सरकार ने अनुमति दी हो। यह सरकार की मन्शा कभी नहीं थी। इस प्रकार के ख्याल को आप हृदय में स्थान न दें, इस प्रकार की मन्शा कभी नहीं रहेगी।

कभी भी ऐसी मंशा सरकार की न रही, न रहेगी और वही किया गया जिसका करना नितान्त आवश्यक था और वही किया जाएगा जो नितान्त आवश्यक होगा। यदि आप चाहें तो मैं व्यक्तिगत रूप से कुछ ऐसी बातें आपको बता सकता हूं। मेरे पास उसकी इत्तिला है। मैं नाम बता सकता हूं कि अमुक सज्जन के बारे में निश्चित रूप से यह खबर है और अमुक सज्जन ने कुछ हद तक मेरे सामने अपनी भूल स्वीकार की है। मैं यह नहीं बता सकता कि, सरकारी पक्ष को छोड़िये, विरोधी दल के कुछ मित्रों से इस बारे में बातें की गई, उन्हें कॉन्फिडेन्स में लेने की कोशिश की

और उन्होंने भी कई खास मौकों पर ऐसे विषय पर अपनी सहमती प्रकट की। मैं उनके नाम बताना नहीं चाहता और आप खुद उनको जानना नहीं चाहेंगे। उनका नाम बताना शासन की दृष्टि से ठीक नहीं होगा और न आपके लिये ठीक होगा।

Shri Indra Nath Modi:—Does the Hon'ble Minister indicate that any members of the Opposition admitted to him in private or public that they were associated with any of the dacoities in Rajasthan ? I think if such information was received by him I would request him to place it before the House so that we can act properly towards such gentlemen. They do not deserve to be members of this House.

Shri Tika Ram Paliwal:—It is all right for the Deputy Leader of the Opposition to say that. I know my responsibility.

Shri Indra Nath Modi:—I wish you did.

Shri Tika Ram Paliwal:—I know it.

Shri Tika Ram Paliwal:—I know what the result of it would be.

Shri Tika Ram Paliwal:—I am not denying that fact.

मैं फिर भी उन नामों को हाउस के सामने कहना मुनासिब नहीं समझूंगा। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस किसी ने मुझे कोन्फिडेन्स में आकर बात कही है, उसको मैं नहीं कहूंगा; मैं तो कहता हूं कि आप उन चीजों को जाने दीजिये। जो फेक्टस हैं उनको देखिये, उन पर सरकार के कामों को तोलिये। मुझे मालूम था कि श्रीमन् राजप्रमुख के भाषण में जिस अंश पर बहुत ज्यादा एतराज किया गया, मैं समझता हूं कि वह अंश एतराज करने के लायक नहीं था। जिन लोगों ने एतराज किया है उन्होंने जन-हित की दृष्टि से नहीं किया है। पुलिस पहले भी काम करती थी। पहले यह बात निश्चित थी कि डाकुओं को लोग शेल्टर दिया करते थे और ऐसे लोग शेल्टर दिया करते थे जहां साधारण आदमी, अफसर जाकर उस घर पर उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते थे। बहुत से लोग उनको शेल्टर देने में एक्टिव पार्ट लेते थे। मगर जब प्रिवेन्टिव डिटेन्शन एक्ट लागू किया गया और एक दो के खिलाफ कार्यवाही की गई तो बहुत से दूसरे लोग जो ऐसा करते थे और डाकुओं को शेल्टर देते थे, शेल्टर देना बन्द कर दिया। आप एक मिनिट के लिये मानलें कि किसी खास केस में किसी एक दो व्यक्तियों के खिलाफ खबरें आई और जो खबरें आई वे बहुत सही हैं और उसके अनुसार उन पर एक्शन ले लिया। लेकिन मेरा कहना यह है कि प्रिवेन्टिव डिटेन्शन एक्ट के अनुसार एक्शन लेने से और लोगों को पकड़ने से दो तरह से फायदा हुआ। एक तो जो लोग वास्तव में डाकुओं को शेल्टर देते थे उनमें से कुछ लोगों को पकड कर रख दिया और इस एक्ट के अनुसार कुल ६३ आदमियों को पकड़ा गया।

श्री इन्द्रनाथ मोदी:–You are out by good 45%. In 45% cases those who were detained had to be let off.

श्री टीकाराम पालीवाल:—–ओल राइट । और मैं आपको बताऊं इसका भी यह नतीजा हुआ कि जो लोग आसानी से पनाह पाते थे उनको पनाह मिलना बन्द हो गई, उनको मदद भी कम हो गई और दूसरी बात यह हुई कि कुछ लोग जो यह समझे हुए थे कि कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पर जाकर वे बड़े आराम से रह सकते हैं और उन पर किसी प्रकार का हाथ नहीं डाला जावेगा, इस कार्यवाही से यह मालूम हो गया कि उनको अब मदद नहीं मिल सकेगी और जहां पर उनको शेल्टर मिल रहा था वहां पर भी राज का हाथ पहुंच सकता है। इसके अलावा मदद देने वालों को भी मालूम हो गया कि सरकार इस बात पर तुली हुई है कि क्राइम को रोका जावे। क्राइम कहीं भी होता हो और क्रिमिनल कहीं भी छुपा हो सरकार का लॉ एन्ड ओर्डर का हाथ वहां पर भी पहुंच सकता है और वह वहां पर भी सुरक्षित नहीं रह सकता। बहुत से लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया फिर भी लोगों ने शेल्टर देना बन्द कर दिया। इससे एक ऐसी स्थिति आ गई कि डाकू कहीं भी थोड़ी सी देर जाकर नहीं बैठ सकता था क्योंकि उनके लिये शेल्टर बन्द हो गये। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस प्रकार की सरकार के पास खबरें हैं कि खानूड़ा, जो एक मशहूर डाकू था और जो पिछले दिनों मारा गया, मारे जाने से पहले उसका एनकाउन्टर पुलिस से हुआ । उसमें खानूड़ा निकल गया और उसके कुछ साथी मारे गये और पकड़े गये। उनसे यह मालूम हुआ कि वे चार दिन तक लूट का माल ऊंटों पर लादे हुए रहे और उनको पहले जहां जहां शेल्टर मिलते थे, नहीं मिले और आखिर में वह मारा गया। इस प्रकार लोगों के दिलों में भय पैदा हो गया कि सरकार की सुरक्षा का हाथ सभी जगह पहुंच सकता है।

विरोधी दल की तरफ से यह कहा गया और शिकायत की गई और साफ कहा गया कि एक जाति विशेष के खिलाफ कार्यवाही की मंशा से यह सब किया गया। मैं इस संबन्ध में बता देना चाहता हूं कि ६३ आदमियों को गिरफ्तार किया गया जिनमें मुसलमान, गुजर, राजपूत, जाट, रेबारी, माली आदि सभी प्रकार के लोग थे। अत: यह नहीं कहा जा सकता कि किसी जाति विशेष या वर्ग विशेष के साथ यह कार्यवाही की गई। मुझे आश्चर्य इस बात का होता है कि यह प्रिवेन्टिव डिटेन्शन एक्ट पिछली बार जब हम हाउस में मिले थे उस समय भी लागू था और उससे पहले भी कुछ एक्शन लिया गया था लेकिन उस समय हाउस के किसी सदस्य ने कुछ नहीं कहा ।

आप कहते हैं कि धन का दुरुपयोग हो रहा है काम कुछ नहीं हो रहा है। यह आप किस कारण से कहते हैं, यह हम सब जानते हैं। मैं चाहता हूं कि आप थोड़े ठीक व्यु लें। अपने संबंधों को अलग रखकर जन हित की दृष्टि से ध्यान दें और इस प्रान्त की शासन व्यवस्था में योग दें; विरोधी दल होते हुए भी, इस चीज को ध्यान में रखते हुए

अपनी धारणाएं बनावें व आलोचना करें तो मैं समझता हूं कि हमारे लिये अच्छा होगा और इस सदन की शान के लायक चीज होगी और प्रान्त तथा देश का बड़ा हित होगा। मैं मानता हूं कि कभी किन्हीं केसेज में गल्ती हुई होगी, यह मुमकिन है। प्रिवेन्टिव डिटेन्शन एक्ट सजा देने के लिये नहीं है। वह सिर्फ अनुचित कार्यवाही करने वालों को ऐसा करने से रोकने के लिये है। उन्हें अपने स्थान से हटा कर एक अलग स्थान पर रखा जाता है और आराम के साथ रखा जाता है सुरक्षित रूप से रखा जाता है। और उन्हे उस काम से रोकने पर जो परिणाम होता है उसे वाच किया जाता है हमने ऐसे परिणाम को वाच किया और वह अच्छा निकला क्राइम्स में कमी हुई। सही चीज करते हुए भी आप नाराज हों तो क्या किया जाय। मैं बार बार आपसे अपील करना चाहता हूं कि आप इस चीज को नाराजगी की दृष्टि से न देखिये; शान्ति और व्यवस्था की दृष्टि से देखिये। दलगत, व्यक्तिगत और जातिगत भावनाओं में आप न जाइये और ऐसी बातों को यहां न लाने की कोशिश कीजिये। यह दूसरी मुख्य बात थी जिसके बारे में मुझे यहां निवेदन करना था।

मेरे मित्र विरोधी दल के नेता ने और एक दो बातों की चर्चा की थी। एन्टी डेकोइट फोर्स की ज्यादतियों के बारे में। मैं जानता हूं कि कहीं कहीं ऐसा हुआ है। ऐसे कोई स्पेसिफिक इन्सटान्सेज (खास दृष्टान्त) सरकार के नोटिस (ध्यान में) लाये जायेंगे तो उन पर अवश्य कार्यवाही की जायगी। यदि किसी ने अपराध किया है, चाहे वह कैसा ही आदमी हो तो उसे दंड दिया जायगा। एक वाकया बांसवाडा के निकट का था। उसकी जांच की गई तो मालूम हुआ कि मध्यभारत की पुलिस डाकूओं का पीछा करती हुई वहां आ गई थी और उसने कुछ गड़बड़ी की। इसके सम्बन्ध में हमने मध्यभारत से प्रोटेस्ट किया और वहां के आई. जी. पी. ने हमारे यहां के आई. जी. पी. को लिखा है कि इस बारे में जांच करके संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की गई है। सरकारी तौर पर इसका जवाब आ रहा होगा। यदि वही केस है तो इसको डील कर लिया गया है। यदि दूसरा केस है तो उसकी भी जांच की जायगी। मझे विरोधी दल के नेता से जो एक शिकायत करनी है वह यह कि उन्होंने इतने दिन तक यदि कोई ऐसा केस था तो पुलसि अफसरों से, आई. जी. पी. से, होम सेक्रेटरी से या मुझ से क्यों नहीं कहा और इस सदन में कहने के लिये ही इस चीज को क्यों सुरक्षित रखा गया?

एक माननीय सदस्य:—कोटा के सिनेमा की जो घटना थी वह तो शायद आपको मालूम होगी?

श्री टीकाराम पालीवाल :—सरकार बहुत सजग है ऐसी बातों के बारे में, पुलिस फोर्स अच्छी तरह से काम कर रही है। यदि कोई ऐसे खराब तत्व हैं तो उनको दंड दिया जायगा, बशर्ते कि सरकार के नोटिस में आवे। हमारे यहां की पुलिस ने बहुत अच्छी तरह से और प्रशंसा का काम किया है और सरकार उसकी प्रशंसा करती है और मैं चाहता हूं कि इस हाउस का विरोधी दल भी, जिन्होंने अच्छा काम किया है उनकी प्रशंसा करे और जो जो एकम्पलिशेज किये गये हैं उनका ड्यु शेअर ड्यु रिकोगनिशन पुलीस फोर्स का, सरकार, इस सदन और विरोधी दल, द्वारा होना चाहिये।

श्री इन्द्रनाथ मोदी:—हमने पिछले छः माह में इसकी कभी शिकायत नहीं की।

श्री टीकाराम पालीवाल—इसके अलावा शिकायत की गई है फाईनेन्सेज के बारे में और मैं मानता हूं कि हमारे यहां के फाइनेन्सेज की स्थिति शिकायत के योग्य ही है और इसके लिये हम सब चिन्तित हैं। लेकिन विरोधी दल की ओर से जो आलोचनायें हुई वे दरअसल म साधारण बातों की हुई, जो यहां आन लायक नहीं थीं। एक ओर तो यह कहा जाता है कि फाइनेन्सेज को सधारने के लिये कुछ नहीं किया जा रहा है या कोई कदम नहीं उठाया जा रहा ह और दूसरी ओर यह कहा ज रहा है कि चंबल योजना दूर की चीज ह, इसे डिसमिस कर दीजिये यह भी कहा जा रहा ह कि टेक्सेज दिनों दिन बढ़ाये जा रहे हैं; यह बड़ा अन्याय है। हमें कोई फाइनेन्शियर या जादूगर ऐसा मिल जाता जो खर्चे में क ी करता और काम भी पूरे कर देता तो अच्छा रहता। आप इस तरह स जनता की झूठी सहानुभूति प्राप्त करने की बात कह कर लोकप्रियता अर्न करने का प्रयत्न क्यों कर रहे ह ?

श्री इन्द्रनाथ मोदी:—हमने आपसे निवेदन किया था कि फिजूल खर्चे को रोका जाय और खर्च में कमी की जाय। हम जानते हैं कि बहुतसा खर्चा अनावश्यक बातों पर हो रहा ह।

श्री टीकाराम पालीवाल:—जहां खर्चे में कमी करने की गुंजायश है वहां की जा रही है हमारे मित्र आलोचना करके लोकप्रिय बनने का साधन जुटाना चाहते हैं। वे जानते हैं कि गरीब जनता के हितों के रक्षक तो वेही बन कर आये ह मानो सरकार का जनता से संबन्ध ही न रहा हो..........

श्री जसवन्तसिंह:—आप बड़े आदमी बन गये हैं।

श्री टीकाराम पालीवाल:—ठीक है आप संतोष कर सकते हैं; आपको तालियां बजाने का मौका आ सकता है, आप शेम शेम कहकर चिल्ला सकते ह लेकिन ये सारी बात जिम्मेदारी की भावना से बहुत दूर ह। जो

दल यह सोचता है कि जो ड्यूटी अंजाम देने के लिये सत्ता हाथ में लेता है वह ऊंचा लगने लगता है उस दल के सदस्यों के लिये यह कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि वे वास्तविक तथ्यों को छोड़कर लोकप्रिय बनने के लिये शोर मचाकर और तालियें बजाकर आलोचना करें। इसका मतलब यह होता है कि असल में प्रान्त का शासन चलाने की जिम्मेदारी अनुभव करने योग्य उनकी आदत कम है। हमको यदि प्रान्त का भला करना है तो यह इम्मेटिरियल है कि शासन किन के हाथ में है। फिर भी जब हम यहां बैठते हैं तो जिन तथ्यों का प्रतिपादन करें, आलोचना करें वह गंभीरता लिए हुए होनी चाहिये; वह ऐसी होनी चाहिए कि जिनको यदि हम आज सही कहते तो कल भी सही कहें मैं नौसिखिये हमारे मित्रों की बात कहूं जो समझते हैं कि आलोचना करके ही अपना कर्तव्य पूर्णकर हो जाता है। यहां छुपाने की बात क्या है? इस गवर्नमेन्ट के बनने के पहल से ही कोशिशें होती रही हैं कि हम चाहते थे कि हमारी गवर्नमेन्ट बनावें और विरोधी दल चाहता था कि अपनी गवर्नमेन्ट बना ले। फिर भी यह माप दण्ड रखना होगा हमें कि जो बातें जनहित की हों वही कहा करें।

विरोधी दल का खास काम है कि जो सरकार काम कर सकती थी और जिसको नहीं कर सकी; उसको बतावें। परन्तु सरकार जो काम नहीं कर सकती थी, उसको नहीं कर सकी इसके लिए कहना कोई अच्छी बात नहीं। टिड्डी दल आ गया, नुकशान कर दिया; इसके लिए सरकार इन्तजाम नहीं कर सकी और शेम शेम चिल्ला दिया; मैं समझता हूं कि इन बातों को लेकर लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश करना कोई सुन्दर बात नहीं।

इस सदन का करीब ४½ (साढे चार) साल का समय बाकी है और हमको इस सदन में बैठ कर इस प्रान्त के हित के लिए सरकार चलानी होगी। कौन चलाये, हम चलायें या आप चलायें, या मिलकर चलायें, या सहयोग से चलायें या लड़कर चलायें; परन्तु चलानी हमको है। जो लोग जिम्मेदारी महसूस करने की स्थिति में हैं वे तो जिम्मेदारी महसूस करें।

चुनाव के बारे में बड़ी आलोचना की गई है। उसका उत्तर मेरे साथियों ने दिया है; जिसको दौहराने की जरूरत मेरे लिए नहीं। पर मैं चन्द शब्द कहूंगा कि सरकार ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है। विरोधी दल के डिप्टी लीडर को यह कहने की क्यों जरूरत पड़ी कि सरकारी कर्मचारियों को राजनीति से दूर रखा जाय? सरकार ने कभी उनको राजनीति में नहीं रखा।

Shri Indra Nath Modi:—If only you will have the goodness to appreciate you will know how the services of the Government have been employing themselves in activities which do not belong to them. I do not want to name anybody in this way in the House because that may not serve any purpose. But I am prepared to give the names if only the Hon'ble Chief Minister will have the courage to make inquiry.

Shri Tika Ram Paliwal:—I will certainly. I have the courage now. I will certainly have the courage to deal with that problem so long as I am the Chief Minister.

Shri Indra Nath Modi:—It is very unfortunate that you have punctuated your remarks by "if" word and therefore we will wait.

Shri Tika Ram Paliwal:—There is no such question. If any complaint is brought to my notice, I will deal with it.

श्री एच० के० व्यास:—क्या आप किशनगढ़ इलेक्शन के बारे में enquiry करेंगे ?

श्री टीकाराम पालीवाल:—(continuing):—My friend has raised complaints about the Kishengarh bye-election These vague and wild allegations will not be helpful. If there are any instances, complaints, we will enquire.

श्री जसवन्तसिंह:—मैं जानना चाहता हूं कि पिछले ६ महिनों में सरकार किन २ अफसरों के खिलाफ Action ले सकी है ? मैं उन अफसरों की कह रहा हूं जिनके मैंने Definately नाम लिए थे । गोर्धनसिंह नामक एक अफसर तो २ पार्टियों के बीच में समझौता कराने के लिए २ महिनों तक गायब रहा; यह उसके Attendance Register से साबित कर सकते हैं । Election Officer ने इसके संबन्ध में जो लेटर Issue किया उससे सावित कर सकते हैं । वह लेटर भी हमने किसी तरह काबू में रखा है । लेकिन वह अफसर बराबर तरक्की पा रहा है ।

श्री टीकाराम पालीवाल:— I am not prepared to say this just at present. An enquiry was held when the complaints were received. The fact is that the Government has not been able to find any truth in the allegations.

तो मैं यह निवेदन कर रहा था और मैं बिल्कुल सही तौर से कहना चाहता हूं कि सरकार का यह दृढ़ निश्चय रहा है और हमने पूरे प्रयत्न किये है कि जितने दूसरे व्यक्ति चिंतित होंगे, सरकारी सेवाओं को निष्पक्ष रखने में, मैं उनसे किसी कदर कम चिंतित नहीं रहा हूं ।

विरोधी दल के सदस्यों की तरफ से यह पूछा गया कि Ministers पार्टी प्रोपेगेन्डा में गये और उसमें भाग लिया । जो लोग ऐसा कहते हैं वे आज की पार्लियामेंटरी पद्धति से बिल्कुल अनभिज्ञ विदित होते हैं । आज की पद्धति के अनुसार जो Ministers होते हैं वे किसी भी देश में अपनी पार्टी के प्रोपेगेन्डा में जाते हैं ।

श्री इन्द्रनाथ मोदी:–My suggestion is ....

Mr. Speaker.—No interruption. As a matter of fact the points regarding the Kishengarh election were not mentioned in the Rajpramukh's Address: other certain points were raised. The Leader of the House is replying to the points. It is not necessary for all the questions to be raised in the middle. If the Hon'ble Members want to raise any discussion about these points then subsequently they will have the occasion to raise the discussions.

श्री टीकाराम पालीवाल:–एक दूसरी शिकायत की गई है, खाद्य पदार्थों के बारे में। मुझे थोड़ा सा आश्चर्य हो रहा था कि आखिर यह किस प्रकार की आलोचना है।

विरोधी दल की बेंचेज से एक सज्जन बहुत गंभीरता से सजगता के साथ कहते हैं कि अनाज की समस्या बनावटी समस्या ह। राज्य को इसके लिए व्यवस्था करने की कोई जरूरत नहीं है। और दूसरे सज्जन उठकर यह कहते हैं कि अनाज की स्थिति बड़ी खराब है, अनाज नहीं मिलता, मिलता है तो खराब मिलता है।

असल में स्थिति यह है कि अनाज की समस्या इतनी कठिन नहीं रही है जितनी कठिन पहले थी। यह बात नहीं है कि अनाज बहुत पड़ा है। अनाज की समस्या कठिन थी उसको उतना कठिन हमने नहीं रहने दिया, सुधार लिया। पिछले दिनों में Scarcity रही; फिर भी हमने अनाज की कीमतें नहीं बढ़ाई थी। विशेष प्रयत्न करके और कार्य कुशलता से जो स्थिति कठिन हो सकती थी उसको कठिन नहीं होने दिया; उससे बचाया। मैं माननीय सदस्यों से अपील करूंगा कि कोई भी बात कहने से पहले जानकारी हासिल करलें तो अच्छा हो।

श्री हरिकृष्ण व्यास:—यहां अलग अलग दल भी हो सकते हैं। ओपोजिशन में भी अलग अलग बैठते हैं। ....

श्री अध्यक्ष:–This party consists of only one member.

श्री हरिकृष्ण व्यास:–My position is so distinct. Do not plumb it together with this party or that, just to score a point.

श्री टीकाराम पालीवाल:—खैर। मैंने यहां इसलिये जिक्र किया, इसलिए रेफर किया कि किस तरह गैर जिम्मेवारी की भावना से आलोचनाएं होती ह, हमारे यहां। यह सब कुछ होने के बाद और कहने सुनने के बाद भी आलोचनाओं में जो कन्सट्रक्टिव सुझाव आये हैं उनक लिए मैं उन मित्रों को धन्यवाद दता हूं, जिन्होंने ये सुझाव पेश किये। उनके अनुसार आगे कार्यवाही की जायगी।

यह तो आपको मानना ही होगा कि श्रीमन् राजप्रमुख के भाषण में यह तो सम्भव नहीं था कि उन सब बातों का, उन सब चीजों का समावेश हो जाता। जवांई बांध बड़ी अच्छी योजना है और यदि उसके सम्बन्ध में कोई मेन्शन नहीं किया तो कोई बड़ा अपराध नहीं किया। जवांई का काम चल रहा है।

श्री इन्द्रनाथ मोदीः—We are not satisfied.

श्री टीकाराम पालीवालः—I am perfectly satisfied.

मैंने स्वयं जाकर उसे देखा है। जब मैंने नहीं देखा था तो मेरी भी यही धारणा थी जैसी कि आपकी है। पिछली दफा जब मैंने उसे जाकर देखा तो मैं कह सकता हूं कि जो काम चल रहा है उससे मुझे संतोष है। आप स्वंय जाकर देखें। वहां किस प्रकार काम हुआ है और आगे किस प्रकार होगा, उससे आपको संतोष होगा। पहले की सरकार ने शुरू में जो योजना बनाई उसके एस्टिमेटस् सही न थे। इस सरकार के पहले और उस सरकार के पहले और उससे पहले की सरकार जब कि अलग अलग रियासतें थीं, ये एस्टिमेटस् बनाये थे। वे एस्टीमेटस् ठीक नहीं थे। इससे ज्यादा खर्चा करना पड़ा; एस्टिमेटस् में सुधार किया गया। सरकार को ज्यादा खर्चा भी करना पड़ा और ज्यादा खर्चा आते हुए भी सरकार काम करवा रही है। उसका सुपरिणाम निकला है और आगे भी निकलेगा। आपको यह भी नहीं भूलना चाहिए कि श्रीमन् राजप्रमुख के भाषण में छः महिनें की मुख्य मुख्य कार्यवाहियों की चर्चा है। छः महीने से पहले की चर्चा करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उन विषयों पर छः महीने पहले राजप्रमुख भाषण दे चुके थे। बहुतसी बातें ऐसी रह गई हैं जिनका मेन्शन करना बहुत से माननीय सदस्य पसन्द कर सकते हैं।

आप मुझे क्षमा करेंगे सही घटनाओं के वर्णन करने में और सही चीजों के समझाने में। यदि हाउस को ये अप्रिय लगी हों तो मुझे उसके लिए खेद होगा। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार ने जो काम किया है वह जनहित की भावना से ही किया है, न कि किसी दलगत राजनीति से। सरकार का कभी विरोध करने का विचार नहीं रहा है। मैं चाहता हूं कि राजप्रमुख के भाषण के वक्त हम इस सदन में बैठकर दलगत राजनीति और स्वार्थ को भूल जायं। राजप्रमुख हमारे सबके राजप्रमुख हैं, अतः उन्होंने जो कुछ कहा है, वह सही है। हमें उनको धन्यवाद देना चाहिये और मैं सबसे अपील करना चाहता हूं कि यह प्रस्ताव सर्व सम्मति से पास किया जाय।

श्री अध्यक्षः—मूल प्रस्ताव के ऊपर राय लेने से पहले जो संशोधन श्री गोपीलालजी यादव ने पेश किया है उसे मैं सदन के सन्मुख रखता हूं। संशोधन इस प्रकार हैः—

"but regrets that the Address neither contains a real picture of the administration nor contains the requisite advice to the

Ministry on important matters and to remove corruption and official lawlessness or to quit in order to build healthy democratic conventions."

सदन के सम्मुख प्रश्न यह है कि यह संशोधन स्वीकृत किया जाय।

श्री गोपीलाल यादवः—मैं एक दो शब्द कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्षः—क्या क्वेश्चन पेश हो जाने के बाद भी आप उस पर कुछ कहना चाहते हैं ?

(संशोधन अस्वीकृत)

श्री अध्यक्षः—मूल प्रस्ताव जो श्री हरिदेव जोशी ने प्रस्तावित किया और श्री रामचन्द्र चौधरी ने उसका समर्थन किया वह इस प्रकार हैः—

इस-सत्र में समवेत विधान सभा के सदस्य, श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण के लिए, जो कि उन्होंने कृपा पूर्वक सदन में दिया है, अत्यन्त कृतज्ञ हैं।

सदन के सम्मुख प्रश्न यह है कि यह प्रस्ताव स्वीकृत किया जाय।

(प्रस्ताव स्वीकृत)

श्री अध्यक्षः—कल से इस सदन की कार्यवाही ८। बजे से १ बजे तक के लिए रखदी जाय तो क्या हर्ज है। लेजिस्लेटिव बिजनेस काफी है।

श्री इन्द्रनाथ मोदीः—समय जो चल रहा है वह ही ठीक है।

श्री हरिदेव जोशीः—समय ८॥। से रखा जाय।

श्री मथुरादास माथुरः—यदि ब्रेक फास्ट का इन्तजाम कर दिया जाय तो समय ७ बजे से ही रख दिया जाय।

श्री अध्यक्षः—सदन की कार्यवाही कल ८॥ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(इसके पश्चात् सदन १२–२३ बजे, १० अक्टूबर सन् १९५२ ई० के प्रातःकाल ८–३० बजे तक के लिए स्थगित हो गया)।

सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक ९ अक्टूबर, १९५२

मनसाराम पुरोहित,
सचिव,
राजस्थान विधान सभा, जयपुर।

परिशिष्ट १

अतारांकित प्रश्न

(सदन की मेज पर रखे गए)

प्रश्न संख्या २३

श्री तेजपाल:–क्या वाणिज्य, स्वास्थ्य और कानून मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:–

(अ) क्या हरिजन बस्तियों में निवास करने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिये सरकार ने कोई प्रबन्ध किया है ?

(ब) यदि अब तक इस प्रकार का कोई प्रबन्ध नहीं किया है तो क्या सरकार इस प्रकार की किसी योजना पर विचार कर रही है ?

Reply

(a) There are no separate Medical Institutions for the treatment of Harijans in Rajasthan as no distinction is made in the treatment of Harijans in the various Medical Institutions run by the Medical Department.

(b) Does not arise.

प्रश्न संख्या २४

श्री तेजपाल:–क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री हरिजनों की हीन अवस्था पर भी ध्यान देंगे और बताने का कष्ट करेंगे कि:–

(अ) हरिजन बस्तियों में सरकार ने सडक और बिजली का प्रबन्ध कहां कहां, किन किन स्थानों पर और कितने तक की आबादी पर किया है ?

(ब) यदि इस प्रकार का कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है तो आज जन-तन्त्र के युग में यह उपेक्षा की नीति हरिजनों पर ही क्यों बरती जाती है ?

Reply

Provision of amenities like electricity, roads and water works within Municipal towns and villages is the concern of the

municipal towns and Panchayats. Wherever Government power houses and water works exist, arrangements for supply of those amenities are made on receipt of requisitions from the local bodies. The Municipal bodies, District Boards and Panchayats have full control over their budgets. The Government considers all such requisitions with sympathy. In the Harijan Basties such as Nahargarh ka Rasta, near Galta, Mohalla Khatikan etc. in Jaipur and outside Kote gate, near Chowkhuti, Chhoti Gwad, Badi Gwad in Bikaner, electricity and water have been provided.

In villages where Panchayats have supplied light to the various localities, Harijan Basties have been given due consideration and one or two Lanterns have been supplied to these Basties.

परिशिष्ट २

(कृपया पृष्ट संख्या······देखिये)

List of Hunger strikers, Central Jail, Jaipur, since 1952 to date.

S. No.	Jail No.	Name with caste.	Date of hunger strike.	Remarks.
1.	4830	Prem Singh Sikh	25-4-52	Pain in stomach no one hears his complaint (Malingrer).
2.	3696	Kishan Singh Daroga	25-4-52	Tried to deceive and erased punishment entry from history Ticket and on punishment refused to take food.
3.	6952	U. T. Rajkumar	25-4-52	Food and facilities as he wants.
4.	5435	Habibul Rahman Naushia	1-5-52	Transfer from Kotah to Jaipur.
5.	9528	Gurbux Singh Sikh	2-6-52	Wants transfer to his place of origin.
6.	3487	Harnam Singh Sikh	—do—	—do—
7.	6133	Dalip Singh Sikh	—do—	—do—
8.	2938	Sant Singh Sikh	—do—	—do—
9.	5903	Mela Ram	—do—	—do—
10.	5437	Sheokat Ali	—do—	—do—
11.	5908	Hari Singh	—do—	—do—
12.	6072	Allarakh	3-5-52	—do—
13.	6080	Ram Singh	—do—	—do—
14.	4830	Prem Singh Sikh	—do—	—do—
15.	3696	Kishan Singh	—do—	—do—
16.	5876	Modji	—do—	—do—
17.	5427	Amra Gadri	—do—	—do—
18.	5421	Ghan Shyam	—do—	—do—
19.	5105	Ram Dayal Singh	—do—	—do—
20.	5419	Surjia	—do—	—do—
21.	5006	Kamji Rajput	—do—	—do—
22.	5454	Kaloo	—do—	—do—
23.	6058	Kishore Singh	25-5-52	Quarrelled with fallow prisoner and when punished went on hunger-strike.
24.	5269	Rajendra Kumar	8-6-52	As was punished for stealing oil from the Kitchen.
25.	5435	Habibul Rahman	12-6-52	Transfer to his place of origin.

S. No.	Jail No.	Name with caste	Date of hunger strike	Remarks.
26.	5437	Sheokat Ali	12-6-52	Transfer to his place of origin
27.	5583	Jalaluddin	15-6-52	—do—
28.	5535	Gambhir Beg	19-7-52	—do—
29.	8301	U. T. Brijmohan	5-9-52	Desperate in love affair.